

# उत्तर प्रदेश विधान परिषद्

की

सार्वजनिक कारोबार समिति का उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत्  
परिषद् के सम्बन्ध में अन्तरिम प्रतिवेदन

(राज्य विद्युत् परिषद्)





दिनांक 21 जुलाई, 1969 को कानूनीय सभापति, विधान परिषद द्वारा उत्तर प्रदेश विधान परिषद की कार्यालयिक कारोबारों समिति के निम्नलिखित सदस्यों को नवीन समिति

का गठन किया गया :

- (1) श्री वीरेन्द्र शर्मा (सभापति)
- (2) श्री शिव प्रसाद गुप्त, सदस्य
- (3) श्री सूर्य प्रसाद अग्रवाली, सदस्य
- (4) डा० राम नारायण पाण्डे, सदस्य
- (5) श्री राजा राम शास्त्री, अध्यक्ष
- (6) श्रीमती मोहनलाला जलोत कियवई, सदस्य
- (7) श्री शाफिर अली सिद्दीकी, सदस्य
- (8) श्री मुन्शीताम दास, सदस्य
- (9) श्री राम दागर मिश्र, सदस्य
- (10) श्री बेनी प्रसाद यादव, सदस्य
- (11) श्री जी० डी० कपूर, सदस्य



सचिवालय के पदाधिकारी

=====

1. श्री हरीश चन्द्र अग्रवाल, सचिव, विधान मण्डल
2. श्री परजाता शरण पजौरी, सचिव, विधान परिषद
3. श्री शान्ति स्वस्म अग्रवाल, समिति अधिकारी

XXXXXX

इस अधिसूचना में समिति के प्रतिवेदन के अन्तर्गत (21 जूई, 1970) तक 26 बैठकें हुईं ।

## सार्वजनिक कारोबार समिति का उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् के सम्बन्ध में अन्तरिम प्रतिवेदन

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् का गठन १९५६ में केंद्रीय एलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट (विद्युत् पूर्ति अधिनियम) १९४८, के अन्तर्गत किया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य बिजली का उत्पादन व उसकी पूर्ति की प्राप्ति उचित रूप से करना था और उसके विकास के लिये जो उचित साधन हों, उनके संबंध में प्राविधान करना था, जैसा कि इस अधिनियम की प्रस्तावना में वर्णित है। अधिनियम की महत्वपूर्ण धाराओं के उद्धरण परिशिष्ट "क" में दिए गए हैं।

यह अधिनियम तुरन्त लागू होने वाला था और इसकी कुछ धाराओं को छोड़कर अन्य धाराएं इसके लागू होने के २ वर्ष के अन्दर लागू की जानी आवश्यक थी यद्यपि केंद्रीय सरकार को यह अधिकार था कि वह किसी प्रदेश के संबंध में इस दो वर्ष की कालावधि को और भी बढ़ा दे। इस अधिनियम के महत्वपूर्ण प्राविधानों के अनुसार केंद्रीय सरकार को एक निकाय सेंट्रल एलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के रूप में बनाना था, जिसका उद्देश्य एक सामान्य राष्ट्रीय विद्युत् नीति का निर्धारण और विभिन्न योजनाओं का समन्वय करना था और विविध प्रादेशिक सरकारों व प्रादेशिक विद्युत् परिषदों के आपस के विवादों में न्यायाधिकरण के रूप में कार्य करना था। इसके अतिरिक्त इसका कार्य विद्युत् संबंधी छानबीन करके और विद्युत् के उत्पादन के श्रोतों को जांच करके उनके संबंध में विविध प्रकार की सूचनाओं का संकलन करना और उसको समय-समय पर जनता की सूचना के लिये प्रकाशित करना था। प्रत्येक प्रादेशिक विद्युत् परिषद् या प्रादेशिक सरकार या अन्य बिजली के उत्पादकों के लिये समय-समय पर उक्त सेंट्रल एलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी को विविध प्रकार की सूचना देना आवश्यक था।

इस अधिनियम की धारा ५ के अन्तर्गत प्रत्येक प्रादेशिक सरकार को एक प्रादेशिक विद्युत् परिषद् की स्थापना करनी थी जिसके कम से कम तीन व अधिक से अधिक सात सदस्य हों और जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाय। उक्त सदस्यों में से एक सदस्य जिसको व्यापारिक मामलों व प्रशासन के संबंध में न केवल अनुभव ही हो बल्कि जिसने इस प्रकार की योग्यता का प्रमाण दिया हो, दूसरा सदस्य जो विद्युत् अभियन्ता हो और जिसको इस दिशा में विस्तृत अनुभव हो और एक तीसरा सदस्य जिसको किसी सार्वजनिक सेवा संबंधी व्यवसाय में या किसी विद्युत् उत्पादन संस्था में वित्तीय विषयों और लेखों का अनुभव हो, होने थे।

अधिनियम की धारा १२ के अनुसार प्रादेशिक विद्युत् परिषद् को एक बंधानिक रूप से गठित संस्था का अस्तित्व प्राप्त है और उसको एक बंधानिक संस्था के सभी अधिकार प्राप्त हैं और इसके इस प्रकार की संस्था के सभी उत्तरदायित्व हैं।

अधिनियम की धारा १६ के अन्तर्गत प्रादेशिक सरकार द्वारा एक प्रादेशिक विद्युत् सलाहकार परिषद् बनाई जानी थी, जिसके सदस्य विद्युत् परिषद् के सदस्यों के अतिरिक्त कम से कम ७ और १५ से अनधिक ऐसे सदस्य हों, जिनकी नियुक्ति स्थानीय निकाय, विद्युत् उत्पादन उद्योग, व्यापार, अन्य उद्योग, यातायात, कृषि व श्रम से संबंधित प्रस्थाओं के परामर्श से की जाय और जिनमें से कम से कम एक-एक सदस्य उपर्युक्त प्रकार के संस्थानों का प्रतिनिधित्व करे। इस प्रादेशिक विद्युत् सलाहकार परिषद् का मुख्य कर्तव्य प्रादेशिक विद्युत् परिषद् की नीति संबंधी सभी मामलों व उसकी सभी योजनाओं के संबंध में परामर्श देना है और परिषद् के कार्य की समय-समय पर समीक्षा करनी है। इसके अतिरिक्त इसका कर्तव्य उन मामलों पर भी विचार करना

है जो विद्युत् परिषद् या प्रादेशिक सरकार उसके समक्ष रखे या जो प्रादेशिक सरकार द्वारा बनाए गये नियमों द्वारा निर्धारित किया जाय। इस सलाहकार परिषद् का एक महत्वपूर्ण अधिकार यह भी है कि जो वार्षिक वित्त विवरण विद्युत् परिषद् प्रादेशिक सरकार को प्रस्तुत करने के लिये बनाए वह इस परिषद् के समक्ष सभी प्रकार के प्रतिवेदनों व परिषद् की कार्यवाहियों के सहित रखा जाय।

अधिनियम की धारा १७ के अन्तर्गत प्रादेशिक सरकार को यह अधिकार है कि वह समय समय पर स्थानीय क्षेत्रों के लिये स्थानीय सलाहकार समितियों का निर्माण करे, जिनसे यदि प्रादेशिक विद्युत् परिषद् आवश्यक समझे तो उस क्षेत्र से संबंधित कार्यकलापों के संबंध में विचार-विमर्श कर ले। ऐसी समितियों का गठन सरकार द्वारा अक्टूबर, १९६६ में किया गया था।

अधिनियम की धारा १८ के अन्तर्गत प्रादेशिक विद्युत् परिषदों का यह कर्तव्य है कि वह संयोजित रूप से प्रदेश में विद्युत् का उत्पादन और उसका विकास व वितरण अत्यन्त दक्षता तथा मितव्ययता से करे और विशेषतः प्रदेश के उन क्षेत्रों में विद्युत् का विकास करे जिसमें विद्युत् का अभाव हो या उसकी कमी हो।

अधिनियम की धारा ५६ के अनुसार राज्य विद्युत् परिषद् अपने कार्यकलापों को यदि उनके लिये प्रादेशिक सरकार से कोई वित्तीय सहायता नहीं प्राप्त होती है, हानि पर नहीं चलायेगी और ऐसी हानि की पूर्ति के लिये समय-समय पर विद्युत् के मूल्य को दरों में परिवर्तन करती रहेगी।

अधिनियम की धारा ६१ के अनुसार प्रत्येक वर्ष फरवरी के माह में विद्युत् परिषद् को सरकार को अगले वित्तीय वर्ष के संबंध में एक वार्षिक वित्त विवरण प्रस्तुत करना होता है जिसको सरकार द्वारा विधान मण्डल के सदनों के समक्ष रखा जाना अनिवार्य है और जिन पर सदनों को विवाद करने का अधिकार है और विद्युत् परिषद् के लिये यह जरूरी है कि जो टिप्पणी इस वार्षिक वित्तीय विवरण पर सदनों में की जाय, उस पर ध्यान दें। इसी प्रकार विद्युत् परिषद् को, यदि वार्षिक वित्तीय विवरण में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाय तो एक अनुपूरक वित्तीय विवरण सरकार को देना होता है, जिस पर वही प्रक्रिया लागू होगी जो वार्षिक वित्तीय विवरण पर लागू है।

अधिनियम की धारा ६२ के अनुसार विद्युत् परिषद्, अत्यन्त आवश्यकता पड़ने पर, आवर्तक व्यय पर २५ हजार रुपये से और अनावर्तक व्यय पर एक लाख रुपये से अधिक व्यय वार्षिक वित्तीय विवरण में सम्मिलित व्यय के अतिरिक्त नहीं कर सकता और जब उसे ऐसा करना आवश्यक हो जाय तो शीघ्रातिशोघ्न इसकी सूचना प्रादेशिक सरकार को दे।

अधिनियम की धारा ६३ के अन्तर्गत विधान मण्डल की सहमति से प्रादेशिक सरकार विद्युत् परिषद् को किसी हानि की पूर्ति के लिये अनुदान (सबवेंशन्स) दे सकती है।

अधिनियम की धारा ६४ व ६५ के अन्तर्गत प्रादेशिक सरकार विद्युत् परिषद् को ऋण दे सकती है और विद्युत् परिषद् प्रादेशिक सरकार की पूर्व स्वीकृति से बाहर से ऋण ले सकती है। धारा ६५ के अन्तर्गत बाहर से एक बार में १० करोड़ रुपये से अधिक ऋण नहीं लिया जा सकता जब तक कि इस संबंध में प्रादेशिक विधान सभा की स्वीकृति से प्रादेशिक सरकार इस सीमा को बढ़ा न दे।

अधिनियम की धारा ६६ के अन्तर्गत प्रादेशिक सरकार विद्युत् परिषद् द्वारा लिये गये किसी ऋण के संबंध में गारंटी दे सकती है किन्तु यदि ऐसी कोई गारंटी दी जाय तो उसके संबंध में एक वक्तव्य प्रादेशिक विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायगा।

अधिनियम की धारा ६७ के अन्तर्गत आय-कर देने के पश्चात् अपने राजस्व को किस प्रकार से काम में लायेगा, इसके बारे में, प्रतिबन्ध है।

अधिनियम की धारा ६६ (५) के अन्तर्गत परिषद् के परीक्षित लेखों को सरकार द्वारा विधान मण्डल के दोनों सदनों के मेज पर रखवाया जाना अनिवार्य है ।

अधिनियम की धारा ७५ के अन्तर्गत विद्युत परिषद् अपने कार्यकलापों के संबंध में एक वार्षिक प्रतिवेदन प्रादेशिक सरकार को प्रस्तुत करेगी, जो उसे विधान मण्डल के दोनों सदनों की मेज पर रखवायेगी ।

अधिनियम की धारा ८० के अन्तर्गत परिषद् भारतीय आय-कर अधिनियम, १९२२, के अन्तर्गत एक कंपनी समझी जायेगी और अपनी आय पर आय-कर देने के लिये बाध्य होगा ।

उपर्युक्त प्राविधानों से स्पष्ट है कि जिस अधिनियम के अन्तर्गत विद्युत परिषद् बनाई गई है, उसका आशय परिषद् को एक स्वतंत्र व स्वशासित संस्था का रूप देना था, जिसको समय-समय पर निदेश देने का प्रादेशिक सरकार को अधिकार था । परिषद् की नीतियों व उसके द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं पर विचार करने का अधिकार सरकार को नये कर अधिनियम की धारा १६ द्वारा एक प्रादेशिक विद्युत सलाहकार परिषद् में निहित किया गया है इसका गठन व इसके संबंध में अन्य प्राविधानों से स्पष्ट है कि यह एक व्यापारिक संस्था के रूप में आयोजित था, जो न केवल व्यापारिक दृष्टि से दक्षता के साथ प्रदेश में विद्युत का उत्पादन, विकास व वितरण करे वरन् जो कुछ लाभ पर कार्य करे और जिसके लिए हानि पर कार्य करना स्पष्टतः वर्जित है । इसकी सदस्यता संबंधी उपबन्धों से भी यही प्रतीत होता है कि इसमें कम से कम ३ सदस्य ऐसे हो जो इसकी व्यापारिक रूप से चलाने के लिये विद्युत संबंधी, व्यापार संबंधी व वित्त व लेखा संबंधी पूर्ण योग्यता रखते हों । इसके अन्तर्गत जो प्रादेशिक सलाहकार परिषद् बनाए जाने का अभिप्राय है और जो उसके गठन के संबंध में विविध प्रकार के उद्योग, व्यापार, श्रम इत्यादि से संबंधित व्यक्तियों के लिये जाने के प्रविधान हैं, उससे भी यही प्रतीत होता है कि इस परिषद् को नीति संबंधी व अन्य सलाह देने के लिये एक ऐसी विशेषज्ञों की संस्था बनाई जाय जो सभी-प्रकार के दृष्टिकोणों से इसको समय-समय पर सलाह दे सके । क्षेत्रीय सलाहकार समितियों के गठन संबंधी प्राविधानों से आशय यह है कि क्षेत्रीय समस्याओं के संबंध में परिषद् को समय-समय पर स्थानीय परामर्श मिल सके । वित्तीय विषयों में भी परिषद् को अधिनियम द्वारा जो पूर्ण अधिकार दिया गया है कि एक समय में १० करोड़ तक का ऋण जनता से ले सके और विधान सभा के परामर्श से और सरकार की अनुमति से यह धनराशि बढ़ाई भी जा सकती है, से भी यही प्रतीत होता है कि उपर्युक्त अनुबन्ध के अतिरिक्त अन्य रूप से विद्युत परिषद् को अपने वित्तीय कार्यों में स्वतंत्रता दिया जाना निहित है । परिषद् पर लागू वित्तीय उपबन्ध इस अधिनियम में एक अनुसूची में दे दिए गए हैं और अपने लाभ को किस प्रकार परिषद् द्वारा निस्तारण किया जायगा इसके अनुबन्ध में इस अधिनियम में विस्तार में दिये गये हैं ।

अधिनियम के उद्देश्यों की कहां तक पूर्ति हुई है, इसका आभास इससे मिलता है कि प्रादेशिक सरकार ने विद्युत परिषद् व उसको परामर्श व सहायता देने के लिये अन्य संस्थाओं का गठन व उनका उपयोग किस सीमा तक किया है और विद्युत परिषद् के कार्य-कलापों पर सरकार ने कहां तक नियंत्रण व उनमें हस्तक्षेप किया है ।

परिषद् का गठन आरंभ से केवल ऐसे सदस्यों का रहा है जो या तो सरकार के विभागों में कार्य करते हैं या सरकार की किसी सेवा से अवकाश प्राप्त होते हैं । उदाहरणार्थ परिषद् के सदस्यों में से अनिवार्य रूप से १ सदस्य विद्युत विभाग का सचिव होता है, दूसरा उद्योग विभाग का सचिव व तीसरा वित्त विभाग का सचिव होता है । विद्युत परिषद् के स्वयं के कथनानुसार वैसे तो आरंभ से ही परिषद् के सभी सदस्य प्रादेशिक सरकार की सेवा में रहने वाले अधिकारी ही रहे हैं, परन्तु थोड़े समय के लिये सन् १९६५-६६ में श्री क० जी० नटराज, एकजीक्यूटिव आफिसर, फेसा, जो १९५६ से ही परिषद् के लेखा सदस्य भी रहे हैं, अवकाश प्राप्ति के बाद भी लेखा सदस्य रहे । इसी प्रकार, अवकाश प्राप्ति के पश्चात् श्री एन० क० बनर्जी मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत) भी १५ दिसम्बर, १९६७ से १४ दिसम्बर, १९६९ तक मॅबर

इंजीनियरिंग के पद पर नियुक्त रहे थे। वैसे वे १ अक्टूबर, १९६७ से ही मेम्बर इंजीनियरिंग थे। इस समय के अध्यक्ष भी सरकार की सेवा से अवकाश प्राप्ति के बाद नियुक्त किये गये हैं। इसके पहले वे १६ जुलाई, १९६२ से ११ मार्च, १९६५ तक मेम्बर इंजीनियरिंग रह चुके हैं। यदि प्रादेशिक सरकार को अपना नियंत्रण रखने के लिये इन ३ विभागों के सचिवों को विद्युत परिषद् का सदस्य बनाना भी था तो सरकार अन्य कुछ सदस्य, जो अधिनियम में दी गई अर्हताओं को पूर्ण रूप से पूरी करते हों और जो निजी व्यापारिक संस्थाओं के कार्य का अनुभव रखते हों, रख देना चाहिये था, जिससे कि परिषद् में विशेषज्ञों का अभाव न रहता। इसी प्रकार परिषद् को सलाह देने के लिये सलाहकार परिषद् का गठन तो किया गया किन्तु अधिनियम में जो अपेक्षा की गई थी कि परिषद् को अपनी नीति बनाने में विविध प्रकार के व्यापारिक, औद्योगिक व श्रम संबंधी विशेषज्ञों का परामर्श प्राप्त हो सकेगा, उसकी पूर्ति नहीं हो पाई क्योंकि सलाहकार परिषद् के समक्ष नीतियां व योजना संबंधी विषय रखे नहीं जाते। इसी प्रकार स्थानीय समस्याओं के संबंध में परामर्श लेने के लिये विशेषतः उन स्थानों पर जहाँ-जहाँ परिषद् द्वारा नई योजना बनाई जा रही है, स्थानीय परामर्शदात्री समितियां १९६६ में बनाई तो गयीं पर उन्होंने कोई कार्य नहीं किया और १९६७ के बाद वे समाप्त हो गईं। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि यद्यपि परिषद् का गठन १९५० तक अधिनियम के अनुसार साधारणतया हो जाना चाहिये था, सरकार द्वारा इसका गठन उस नियत तिथि के ६ वर्ष बाद किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार १९५० से १९५६ तक केंद्रीय सरकार से समय मांगती रही। इससे भी कुछ ऐसा आभास होता है कि सरकार विद्युत का उत्पादन, उसके विकास और वितरण को, जहाँ तक संभव हो, पूर्णतः अपने हाथ में ही रखना चाहती थी। इसका एक प्रमाण यह भी हो सकता है कि विद्युत परिषद् में प्रशासकीय सेवाओं पर अब भी सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है।

### परिषद् की नीति पर नियंत्रण

उस नियंत्रण के अतिरिक्त जो सरकारी पदाधिकारी परिषद् के सदस्य व उसकी प्रशासकीय और साचविक सेवा में होने के नाते परिषद् की नीतियों पर करते हैं, समिति के समक्ष कुछ ऐसे प्रकार के नियंत्रणों की सूचना आयी, जो यद्यपि एलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, १९४८ के अन्तर्गत प्रत्याशित नहीं थे, किन्तु, वास्तव में, परिषद् पर लागू है। उदाहरणार्थ, परिषद् द्वारा बनाई गई सभी योजनाओं को पहले प्रादेशिक सरकार द्वारा स्वीकार किया जाता है, उसके पश्चात् केंद्रीय सरकार द्वारा और उसके पश्चात् योजना आयोग (प्लानिंग कमिशन) द्वारा। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि विकास आयोग कोई विधि द्वारा स्थापित संस्था नहीं है और उसका हस्तक्षेप विद्युत (पूर्ति) अधिनियम, १९४८, के अन्तर्गत बनी किसी संस्था पर वांछित नहीं है। भारत सरकार भी कभी-कभी निवेश देती है कि किस योजना को परिषद् द्वारा लिया जाना आवश्यक है। उदाहरणार्थ, किसानों योजना से उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त हिमांचल प्रदेश, हरियाणा व राजस्थान प्रभावित है और अन्तर्प्रदेशीय झगड़ों के कारण उत्तर प्रदेश को इस योजना के संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पाया है, यद्यपि विद्युत परिषद् उसके संबंध में कुछ छानबीन कराने में धन व्यय कर रही है। किन्तु जब परिषद् के अधिकारियों से पूछा गया कि इस झगड़े वाली योजना को छोड़कर परिषद् अपना समय व धन अन्य योजनाओं की छानबीन में क्यों नहीं व्यय करती, तो समिति को बताया गया कि भारत सरकार चाहती है कि प्रादेशिक विद्युत् परिषद् इस योजना को आरम्भ करे। किन्तु दूसरी ओर भारत सरकार द्वारा अभी तक इन चारों प्रदेशों में समझौता नहीं कराया जा सका है। जिसके कारण इस पर हुआ व्यय परिषद् के लिये अब तक भार स्वरूप है। इसके अतिरिक्त परिषद् को यह स्वतंत्रता नहीं कि वह ऐसा कार्य, जो सिंचाई सम्बन्धी विशेषज्ञों द्वारा ही किया जा सकता हो, जैसे कि डैम बनाना, अपनी इच्छानुसार करा सके। इसके लिये उसे प्रादेशिक सरकार के सिंचाई विभाग पर निर्भर रहना पड़ता है और इस कार्य के लिये १३ प्रतिशत धन विभागीय व्यय के रूप में सिंचाई विभाग परिषद् से लेता है। परिषद् का यह अनुरोध है कि जितना समय सिंचाई विभाग के विशेषज्ञ इस प्रकार के कार्यों को परिषद् के लिये उस समय के लिये उनको परिषद् की सेवा में

प्रति नियुक्त (डेप्यूटेशन) पर भेज दिया जाय, प्रादेशिक सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। ऐसा करने से विद्युत् परिषद् को उनके ऊपर होने वाले इस प्रकार के व्यय में ३ प्रतिशत की बचत हो जाती है। इसी प्रकार सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा भी विद्युत् परिषद् के कुछ कार्य कराने पड़ते हैं, जिनका व्यय परिषद् को वहन करना पड़ता है। परिषद् का यह अनुरोध कि सब प्रकार के विशेषज्ञों के एक छोटे से सेल की रचना की जाय, जो परिषद् द्वारा किये जाने वाले इस प्रकार के विशिष्ट कार्यों को देखभाल कर सके, सरकार द्वारा अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है। इसी प्रकार मशीनों की खरीद के सम्बन्ध में परिषद् को केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रण के कारण तृतीय पंचवर्षीय योजना के समय रूसी मशीनें खरीदनी पड़ीं, जो परिषद् के अधिकारियों के कथानुसार न केवल मूल्य में अधिक थीं वरन् गुणों में भी इतनी अच्छी नहीं थीं, जितनी कि अंग्रेजी व अमरीकी। इससे परिषद् को कार्य दक्षता में क्षति हुई है।

भारत के हिन्दुस्तान हैवी एलेक्ट्रिकल कारखाने के द्वारा भी, जो भारत सरकार का एक सार्वजनिक कारोबार है, विद्युत् परिषद् के कार्यों में बाधा डाली जाती है। विद्युत् परिषद् के ढकरानी प्रोजेक्ट, जिसके लिये भारत के भोपाल स्थित भारत हैवी एलेक्ट्रिकल को एक एक निश्चित समय पर मशीनें देनी थी, की पूर्ति में अनुमानित ३ या ४ वर्ष की देरी होने का एक कारण यह भी है कि उसके लिये जो मशीनें भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स द्वारा दी जाने वाली थीं उसको बनाने की प्राथमिकता न देकर उसने कोयना प्रोजेक्ट (महाराष्ट्र) के लिये मशीनों को प्राथमिकता दी और इस प्रकार न केवल उस परियोजना पर व्यय किया गया धन बेकार पड़ा है, वरन् प्रदेश को उस परियोजना में उत्पादित विद्युत् से लाभ उठाने में ३-४ वर्ष का अधिक समय लग जायगा। जब विद्युत् परिषद् के अधिकारियों से पूछा गया कि हैवी एलेक्ट्रिकल्स के समय पर मशीनें न देने के कारण कोई हरजाना क्यों नहीं मांगा गया तो उत्तर मिला कि भारत सरकार द्वारा संचालित हिन्दुस्तान हैवी एलेक्ट्रिकल्स अपने द्वारा दी जाने वाली मशीनों का समय पर न दिये जाने के सम्बन्ध में इस प्रकार क हरजाने का कोई प्राविधान स्वीकार नहीं करता है।

### वित्तीय नियंत्रण

परिषद् की सारी पूंजी का ६५ प्रतिशत प्रादेशिक सरकार द्वारा ही लगाया गया है और केवल ५ प्रतिशत उसकी पूंजी ऐसी है, जो जीवन बीमा निगम या खुले बाजार से ली गई है। इसके अतिरिक्त प्रादेशिक सरकार यद्यपि केन्द्रीय सरकार से ऋण लेकर परिषद् को देती है, वह केन्द्रीय सरकार को दिये जाने वाले व्याज से एक प्रतिशत अधिक व्याज परिषद् से वसूल करती है, जो न्यायोचित न होने हुए परिषद् पर एक भार के रूप में है। परिषद् द्वारा बाहर से ऋण लिये जाने पर रिजर्व बैंक का नियन्त्रण है और बिना रिजर्व बैंक की अनुमति लिये परिषद् बाहर से ऋण नहीं ले सकती। इसका कारण यह है कि बाहर से लिये जाने वाले ऋण पर प्रादेशिक सरकार गारन्टी तभी देती है जब रिजर्व बैंक उसको इसकी अनुमति दे दे। अधिनियमों में दिये गये वित्तीय नियमों के अतिरिक्त प्रादेशिक सरकार इस बात का भी आग्रह करती है कि परिषद् प्रादेशिक सरकार द्वारा बनाये गये वित्तीय नियमों का अनुसरण करे क्योंकि इन नियमों का अनुसरण सरकार द्वारा भी किया जाता है। समिति के समझ इस प्रकार का उदाहरण है कि यद्यपि परिषद् के लिये कोई धनराशि कोई स्वीकृति कर भी दी गयी हो, उसे सरकार से प्राप्त करने में परिषद् को एक वर्ष तक का अधिक समय लग जाता है। कुछ योजना की छानबीन के लिये जो ३० लाख रुपये का अनुदान सरकार ने दिया था, वह परिषद् को पिछले वित्तीय वर्ष के अन्त से दो महीने पहले तक नहीं मिल पाया। सरकार ने अभी तक परिषद् द्वारा बाहर से लिये गये २२,६२,०५.६०० रु० के ऋण की अभी तक गारन्टी दी है किन्तु सरकार स्वयं एक प्रतिशत अधिक व्याज परिषद् से न लेकर यदि परिषद् द्वारा लिये जाने वाले अधिक ऋणों की गारन्टी विधान मण्डल के सदनों की अनुमति से दे दे तो परिषद् को खुले बाजार में कम व्याज पर ऋण मिल सकता है और परिषद् ऐसे कार्य, जो धन के अभाव से

शीघ्र नहीं पूर्ण किये जा सकते, शीघ्र पूर्ण किये जा सकते हैं। इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि खुले बाजार से विद्युत् परिषद् को १९६४-६५ से १९६६-७० तक सभी ऋण ५ से ६ प्रतिशत सूद पर मिले हैं। १९६६-७० में एग्जीक्यूटिव फाइनेंस कारपोरेशन से १,६६,००० का, यूनाइटेड कामर्शियल बैंक से १,००,००,००० का व बैंक आफ बरौदा से २,००,००,००० का ऋण विद्युत् परिषद् को ८ प्रतिशत सूद पर प्रादेशिक सरकार की गारन्टी होते हुए भी मिला। इन ऋणों के लिये भी यदि खुले बाजार से लेने की अनुमति प्रादेशिक सरकार अपनी गारन्टी से दे देती तो कदाचित् विद्युत् परिषद् को इन धनराशियों पर २ प्रतिशत अधिक सूद न देना पड़ता।

इन सब बातों से यह सिद्ध होता है कि यद्यपि एलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) अधिनियम, १९४८, का ध्येय एक स्वतंत्र संस्था का गठन करना था, जो सरकार की सामान्य देखभाल के अतर्गत स्वतंत्र व व्यापारिक रूप से प्रदेश में विद्युत् का विकास व उत्पादन और वितरण करती, वास्तव में इस समय की विद्युत् परिषद् को सरकार के ही एक प्रशासकीय विभाग का रूप दे दिया गया है उसी रूप में इसका संचालन किया जाता है जिससे परिषद् उन सभी स्वतंत्रताओं का लाभ नहीं उठा सकी, जो अधिनियम में वांछित थी।

#### सामान्य सूचनार्थ—

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् का गठन राज्य सरकार द्वारा १, अप्रैल १९५६ को विद्युत् (पूर्ति) अधिनियम, १९४८, के अधीन किया और उस समय रिहन्द शक्ति परियोजना के अतिरिक्त सभी राजकीय विद्युत् उपक्रम परिषद् के प्रबन्ध में हस्तान्तरित कर दिये गये और उन हस्तान्तरित उपक्रमों से सम्बद्ध सभी प्राविधिक एवं अप्राविधिक कमचारियों की सेवाओं को भी परिषद् को प्रतिनियुक्त (डेपुटेशन) पर भेज दिया गया। १ अप्रैल, १९६५ को परिषद् को रिहन्द परियोजना भी हस्तान्तरित कर दी गयी।

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है, परिषद् की स्थापना का उद्देश्य राज्य के अन्दर कुशलता एवं मितव्ययता से विद्युत् का उत्पादन, उसका विकास एवं वितरण करना है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहाँ किसी अनुज्ञाधारी (लाइसेंस) द्वारा विद्युत् की पूर्ति बिल्कुल न की जाती हो अथवा अपर्याप्त रूप से की जाती हो।

विद्युत् परिषद् को जब १ अप्रैल, १९५६ को सरकारी उपक्रम हस्तारित किये गये तो उनका मूल्य ६६,६२,००,००० रुपये आंका गया और आरम्भ में विद्युत् परिषद् की यही पूंजी थी। जब १ अप्रैल, १९६५ को रिहन्द परियोजना विद्युत् परिषद् को हस्तान्तरित की गयी तो इस परियोजना की पूंजी ५१,५२,००,००० रुपये आंकी गयी थी। अधिनियम की धारा ६४ के अधीन इन दोनों धनराशियों को सरकार द्वारा परिषद् को दिया गया ऋण मान लिया गया। परिषद् की आरम्भ में ६६,६२ लाख रुपये की पूंजी थी। और इसमें वार्षिक वृद्धि और उसका अनुपात निम्न प्रकार था :-

वर्ष	पूँजी में वृद्धि	अनुपात प्रतिशत
	लाख रु०	
१९५६-६०	४१४	७.२
१९६०-६१	५७४	८.६
१९६१-६२	१,०६३	१६.४
१९६२-६३	६०३	९.१
१९६३-६४	१,६४६	२४.८



वर्ष	पूँजी में वृद्धि		अनुपात प्रतिशत
	लाख रु०		
१९६४-६५	३,६६२	५५.४	
१९६५-६६	११,३७२	१७०.७	
१९६६-६७	५,८३३	८७.६	
१९६७-६८	६,२५६	९७.६	
१९६८-६९	५,८२७	८७.५	

उक्त प्रकार से की गयी पूँजी की वृद्धि में परिषद् को आर्थिक लाभ नहीं हुआ है परन्तु पूँजी वृद्धि में उत्पादन और राजस्व में निम्न प्रकार वृद्धि हुई है :—

वर्ष	राजस्व करोड़ रुपयों में	उत्पादन मिलियन यूनिट में
१९६४-६५	१६.३०	१५८३
१९६५-६६	२२.६७	२८६१
१९६६-६७	२६.६३	३१२३
१९६७-६८	३४.३६	३२६४
१९६८-६९	४६.६७	४३७१.३३

परिषद् के गठन के वर्ष (१९५६) शासकीय विद्युत् विभाग में १९५८-५९ में जो घाटा था उसको सरकार ने परिषद् को १९५६-६० में सबवेशन के रूप में दिया और यह भी निर्णय लिया कि कथित रकम में से प्रति वर्ष पाँच वर्ष तक परिषद् को २० कम करके सबवेशन मिलता रहेगा।

परिषद् को उसकी स्थापना से ३ वित्तीय वर्षों में सरकार द्वारा निम्नलिखित आर्थिक सहायता (Subvention) परिषद् द्वारा विद्युत् का रेट न बढ़ाये जाने के फलस्वरूप दी गयी:—

वर्ष	कुल घाटे की रकम लाखों में		घाटे की रकम लाखों में
	रु०	रु०	
१९५६-६०	१६६.४२७	१३७.४२७	६२
१९६०-६१	१६०.६४१	१०६.६४१	८१
१९६१-६२	१३७.४५६	८२.४५६	५५

मई, १९६२ में बिजली की दरों में परिषद् ने वृद्धि की जिसके तथा अन्य कारणोंवश १९६२-६३ में परिषद् को ६७ लाख रुपये का लाभ हुआ। इसी वर्ष से सरकार ने सबवैशन देना बन्द कर दिया और परिषद् को विद्युत् के रेट बढ़ाने की अनुमति दे दी गई किन्तु उत्तराखण्ड योजनाओं में होने वाले व्यय में सरकार अब भी अनुदान दे रही है क्योंकि वहाँ पर विद्युत् उत्पादन का व्यय अधिक आता है और उतने अधिक मूल्यों पर विद्युत् देना उस क्षेत्र के लिये हित कर न होगा। १९६५-६६ तक उत्तराखण्ड योजनाओं में होने वाले व्यय का ७५ प्रतिशत सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दिया जाता था और अब अनुदान की धनराशि व्यय का १६/२८ भाग ही रह गई है। इस प्रकार निम्नलिखित अनुदान परिषद् को उत्तराखण्ड योजनाओं के लिये सरकार द्वारा दिये गये :-

						लाख रुपये
१९६२-६३	..	..	..	..	..	११
१९६३-६४	..	..	..	..	..	१५
१९६४-६५	..	..	..	..	..	११
१९६५-६६	..	..	..	..	..	३६
१९६६-६७	..	..	..	..	..	१४
१९६७-६८	..	..	..	..	..	११
१९६८-६९	..	..	..	..	..	२०
<b>कुल योग</b>						<b>११८</b>

विद्युत् परिषद् विभिन्न स्रोतों से ऋण लेती है और विभिन्न स्रोतों से लिये जाने वाले ऋण की धनराशि और उन पर देय व्याज की दर पिछले २ वर्षों में इस प्रकार थी:-

वर्ष	ऋण का क्षेत्र	ऋण की धनराशि लाखों में	व्याज की दर
३१-३-६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में	सरकारी ऋण जनता से जीवन बीमा निगम से	३६४१४ ७८ ६५०	६ ३/४ ६ ७-३/४ समय पर किस्त देने से १/२ की छूट मिल सकती है
३१-३-६९ को समाप्त होने वाले वर्ष में	सरकारी ऋण .. जनता से .. जीवन बीमा निगम से	४१,६१६ १,११७ १,२४२	.. .. ..

इस प्रकार विद्युत् पर सभी ऋणों पर सरकारी ऋण का अनुपात लगभग ६५ प्रतिशत आता है।

परिषद् की स्थापना के पश्चात् १९६७-६८ तक लाभ होने का क्रम प्रति वर्ष इस प्रकार रहा:—

वर्ष	हानि	लाभ
	(लाख रु०)	
१९५६-६० .. .. .	६२	..
१९६०-६१ .. .. .	८१	..
१९६१-६२ .. .. .	५५	..
१९६२-६३ .. .. .	..	६७
१९६३-६४ .. .. .	३८	..
१९६४-६५ .. .. .	..	७०
१९६५-६६ .. .. .	२०८	..
१९६६-६७ .. .. .	४५१	..
१९६७-६८ .. .. .	८६२	..
१९६८-६९ .. .. .	६३४	..
१९६९-७० .. .. .	८४१	..
	(संभावित हानि)	

इससे प्रतीत होता है कि उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ हानि में भी वृद्धि हुई है।

इस प्रकार आरम्भ से परिषद् को ३,२५५ लाख रुपयों की हानि वर्ष १९६९-७० तक अनुमानित की जाती है। सन् १९६८-६९ में विद्युत् परिषद् द्वारा कुल ४,३७१.३२ मिलियन यूनिट उत्पादित हुई, जिसमें से हाईड्रिल से १,६००.१६ मिलियन यूनिट और थर्मल से २,७७१.१७ मिलियन यूनिट उत्पादित हुई परिषद् के प्रत्येक जनरेटिंग स्टेशन की ३१ मार्च, १९६९, को विद्युत् जनन की क्षमता निम्नलिखित थी:—

थर्मल	स्थान	स्थापित धारित के० डबल० में
हरदुआगंज (ए)	पुराना तथा प्रथम और तृतीय श्रृण	१,१०,०००
ओबरा	.. .. .	१,५०,०००
पनकी	.. .. .	६४,०००
चन्दौसी	.. .. .	१५,६००
रामपुर	.. .. .	६,६२५
मैनपुरी	.. .. .	१०,०००
मऊ	.. .. .	१५,०००
गोरखपुर	.. .. .	१५,०००
साहेवाल	.. .. .	१५,०००
बलरामपुर	.. .. .	५,०००
इलाहाबाद	.. .. .	१२,०००
ऐशबाग, लखनऊ	.. .. .	१२,०००
तालकटोरा, लखनऊ	.. .. .	१०,०००
हरदुआगंज, (बी)	.. .. .	१,००,०००
आर० पी० एच० कानपुर	.. .. .	८७,५००

हाइड्रिल	स्थान	स्थापित धारित के० डब्लू० में
रिहन्द	.. ..	३,००,०००
माताटीला	.. ..	३०,०००
पथरी	.. ..	२०,४००
मोहम्मदपुर	.. ..	६,३००
निरगाजनी	.. ..	५,०००
चित्तोरा	.. ..	३,०००
सलबा ..	.. ..	३,०००
भोला ..	.. ..	२,७००
पलरा ..	.. ..	६००
सुमेरा ..	.. ..	१,२००
खटीमा	.. ..	४१,४००
जमुना स्टेज १	.. ..	५६,५००

विद्युत् के हाइड्रल से उत्पादन का औसतन मूल्य ४ पैसे प्रति यूनिट होता है और थर्मल से उत्पादन का मूल्य ७.५ पैसे प्रति यूनिट आता है। इस प्रकार परिषद् द्वारा २,७७१.१७ मिलियन यूनिट थर्मल से और केवल १,६००.१६ मिलियन यूनिट हाइड्रल से १६६८-६६ में जनरेशन हुआ उपर्युक्त से यह भी विदित होता है कि यद्यपि थर्मल की कुल उत्पादन क्षमता ६,२७४.२५ मिलियन यूनिट है उससे १६६८-६६ में २,७७१.१७ मिलियन यूनिट उत्पादित किये गये और हाइड्रल की कुल ४,७३१.०० क्षमता में से १,७००.१६ मिलियन यूनिट उत्पादित किये गये।

इस समय निम्नलिखित योजनाओं की छानबीन की जा रही है :

वाष्प विद्युत्—

ओबरा (बी) विद्युत् गृह

जल विद्युत्—

कोटेश्वर शिवपुरी सुरंग योजना	भागीरथी नदी पर।
टेहरी बांध	.. भागीरथी नदी पर।
नन्द प्रयाग सुरंग योजना	.. अलखनन्दा नदी पर।
लकासू सुरंग योजना	.. अलखनन्दा नदी पर।
पंचेश्वर बांध	.. सरजू नदी पर।
विपु प्रयाग जल विद्युत् योजना	.. अलखनन्दा नदी पर।
ओबला नन्द प्रयाग सुरंग योजना	.. अलखनन्दा नदी पर।
फिशाऊ बांध	.. टोंस नदी पर।
मनेरी भाली (द्वितीय चरण)	.. भागीरथी नदी पर।
कन्हार बांध ..	.. कन्हार नदी पर।
राजघाट ..	.. बेतवा नदी पर।

पिछले ५ वर्षों में विद्युत् उत्पादन पर लगायी गई नई पूंजी और उससे उत्पादित अतिरिक्त बिजली का अनुपात इस प्रकार रहा :—

वर्ष	आयोजनागत व्यय (लाख रुपयों में)	बढ़ा हुआ जनरेशन (मिलियन यूनिट में)
१९६४-६५	४,०३६	१६७
१९६५-६६	६,४४६	१,२७८
१९६६-६७	५,८१६	२६२
१९६७-६८	६,३६०	१७१
१९६८-६९	५,४१८	१,०७७

पिछले ५ वर्षों में विद्युत् की उत्पत्ति में वृद्धि २,६८५ मिलियन यूनिट की हुई, जबकि बिजली के उत्पादन के व्यय में वृद्धि २८,०७६ लाख रुपयों का हुआ।

परिषद् द्वारा उत्पादित की गयी बिजली निम्नलिखित प्रकार के कार्यों में १९६७-६८ में काम में लायी गयी, जिससे निम्नलिखित आय परिषद् को हुई :—

कार्यों का विवरण	बिजली का व्यय मिलियन यूनिटों में	आय (रुपयों में)
घरेलू—		₹ ० पैसे
(अ) लाइट एण्ड फैन	१७०.१०७	५,०१,५७,३०४.४६
(ब) घरेलू शक्ति	२१.१७७	४१,६५,६३६.१६
व्यापारिक	५७.०२२	१,३३,१२,०१५.०५
इन्डस्ट्रियल	१,८२६.०१०	१५,७६,६५,१५६.३६
एग््रीकल्चर	३४८.३०७	५,२२,११,७८२.००
पब्लिक लाइटिंग	१२.५७७	३१,२६,३४४.६६
पब्लिक वाटर वर्क्स	५०.६३०	५१,७७,०४१.३०
रेलवे ट्रेक्शन	८६.८४०	१,३२,५६,०२१.००
बल्क सप्लाय	३२६.२८०	३,८५,६८,४६५.४८
	२६०१.६५०	₹ ३,८०,०२,७६६.५६

इस प्रकार विविध प्रकार के प्रयोजनों के लिये विद्युत् निम्नलिखित अनुपात में दी गई है :

	प्रतिशत
घरेलू	७.१
औद्योगिक	६२.०
कृषि के लिये	११.७
ह्रास व अन्य कार्यों के लिये	१६.२

कुल विद्युत क उत्पादन ब बूसरे स्रोतों से खरीदी हुई बिजली और उनका वितरण १९६७-६८ में, जिसके इस समय आकड़ उपलब्ध हैं, निम्नलिखित रहा है :

		मिलियन यूनिटों में	
कुल जनरेशन	.. .. .	..	३२६४.११६
यूनिट जो खरीदे गये	.. .. .	..	४६३.८५३
		योग	३७८७.६६६
यूनिट आक्विजलरी में खच हुय	.. .. .	..	१५०.५६८
		बाकी	३६३७.३७१
(अ) यूनिट जो उपभोक्ताओं को बेचे गये	.. .. .	..	२६०१.६५०
(ब) यूनिट प्रोजेक्टों पर खर्च किये गये (अनुमानित)	.. .. .	..	१२.०००
(स) फ्री सप्लाय यूनिट	.. .. .	..	१०.६५४
कुल यूनिट	.. .. .	..	२६२४.९०४
यूनिट लास ५/७	.. .. .	..	७१२.४६७
प्रतिशत लास $\frac{८}{३} \times १,०००$	.. .. .	..	१८.८ प्रतिशत

उपर्युक्त से स्पष्ट होगा कि वितरण में ३,७८७.६६६ मिलियन यूनिटों में से सब प्रकार के बिजली के ह्रास की संख्या ७१२.४६७ मिलियन यूनिट है, जो कि लगभग १६ प्रतिशत आती है।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित परियोजनाओं पर परिषद् द्वारा कार्य चालू रखे जाने का विचार है और उनसे नीचे दिया हुआ उत्पादन होने की आशा है :-

चालू योजनायें	अधिष्ठापित धारित पूर्ण होने का मेगावाट	लक्ष्य
१—ओबरा वाष्प विद्युत् गृह	२ × ५०	मेगावाट एक मशीन चालू की जा चुकी है तथा दूसरी ६६-७० में पूरी करने का लक्ष्य है।
२—यमुना जल विद्युत् प्रथम चरण	१ × १७	१६६६-७०
प्रथम चरणे	१ × २५	१६७०-७१
३—ओबरा जल विद्युत् योजना	३ × ३३	१६७०-७१
४—हरदुआ गंज वाष्प विद्युत् योजना	२ × ५५	१६७०-७१
चतुर्थ चरणे	२ × १००	१६७२-७३
५—ओबरा वाष्प विद्युत् योजना विस्तार	४ × ७०	१६७३-७४
प्रथम चरणे	४ × ३०	१६७२-७३
६—यमुना जल विद्युत् योजना द्वितीय चरण	३ × १०	१६७३-७४
७—यमुना जल विद्युत् योजना चतुर्थ चरण भाग	३ × ६०	१६७३-७४
८—रामगंगा जलविद्युत् योजना	३ × ७५	१६७३-७४
९—पुकवा जल विद्युत् योजना		

इसी प्रकार पंचम पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित दो योजनाओं की पूर्ति का लक्ष्य है:-

		मेगावाट
१—पनकी वाष्प विद्युत् योजना विस्तार .. .. .		२ × १२०
२—ओबरा वाष्प विद्युत् योजना विस्तार .. .. .		३ × २००

उपर्युक्त योजनाओं में निम्नलिखित धन व्यय होने का अनुमान है :

जनरेशन स्कीम	प्राविधान
(उत्पादन योजना) .. .. .	(लाख रुपये में)
स्पिल ओवर स्कीम	
१—यमुना जल विद्युत् योजना का चरण १ एवं २ .. .. .	४,४१०
२—माता टीला जल विद्युत् योजना .. .. .	२
३—ओबरा जल विद्युत् योजना .. .. .	५६६
४—रामगंगा जल विद्युत् योजना .. .. .	२,०४०
५—मनेरी भाली जल विद्युत् योजना (भाग १) .. .. .	१,७००
६—पुकुआं जल विद्युत् योजना .. .. .	३६०
७—रिहन्द की छटी मशीन .. .. .	६
८—यमुना जल विद्युत् योजना चरण ४ (भाग १) .. .. .	५६२
९—हरदुआ गंज चरण २ .. .. .	४७
१०—हरदुआगंज चरण ३ .. .. .	१०६
११—हरदुआगंज चरण ४ .. .. .	६३१
१२—ओबरा तापीय योजना .. .. .	(-) ५२
१३—ओबरा तापीय विस्तार चरण १ .. .. .	४,४१४
१४—पनकी तापीय .. .. .	(-) १५४
योग .. .. .	१५,०६८
नई योजनायें—	
१—ओबरा तापीय विस्तार चरण २ .. .. .	२,३०५
२—पनकी तापीय विस्तार .. .. .	४००
योग .. .. .	२,७०५

विद्युत के १९६७-६८ तथा १९६८-६९ में उत्पादन ट्रांसमिशन तथा ओवर हैड चार्ज के व्यय का अनुपात कुल व्यय इस पर प्रकार है :-

वर्ष	उत्पादन		ट्रांसमिशन		ओवर हैड	
	व्यय	अनुपात	व्यय	,अनुपात	व्यय	अनुपात
१९६७-६८ ..	११८.७	४६	४२	१.१	८००	३२.७
१९६८-६९ ..	१५१४.०	४६	३४	१.१	१००६	३२.७

इसी प्रकार विद्युत् बाहर क्रय करके परिषद् वितरित करती है उस क्रय का और व्यय का अनुपात इस प्रकार है :-

वर्ष	विद्युत् क्रय		वितरण		कुल व्यय
	व्यय	अनुपात	व्यय	अनुपात	
१९६७-६८ ..	२२२	६.१	१६५	८.०	२,४४५
१९६८-६९ ..	२४५	८	२८७	६.२	३,०८६

उपलिखित ओवर हैड में डिप्रिसिएशन और अधिष्ठान व्यय भी सम्मिलित हैं और यह उल्लेखनीय है कि ट्रांसमिशन में डिस्ट्रिब्यूशन का व्यय सम्मिलित नहीं है। ओवर हैड का विवरण १९६७-६८ व १९६८-६९ में इस प्रकार रहा :-

			१९६७-६८	१९६८-६९
(१) ह्रास	..	..	५००.५०४	६४०.५७६
(२) अधिष्ठान व्यय	..	..	२८५.१२२	३६८.६८०
(३) आपत्तिकालीन जोखिम बीमा	..	..	१४.३२८	..
कुल ..			७९९.९५४	१००९.२५५

परिषद् ने सन् १९६२ के पश्चात् जो विविध प्रकार के उपभोग की दरों पर वृद्धियां की, उनका विवरण परिशिष्ट 'ख' व उसके साथ संलग्न विस्तृत विवरणों में दिया गया है।

उससे विदित है कि सन् १९६२ से, जब से सरकार द्वारा विद्युत की दरों में वृद्धि न किये जाने के कारण अनुदान रोक दिया गया था, विद्युत परिषद् में औद्योगिक कार्यों के लिये वी गई विद्युत पर औसतन ३८ प्रतिशत और कृषि के कार्यों के लिये वी गयी विद्युत पर औसतन २५ प्रतिशत अपनी दरें बढ़ायी। इसके अतिरिक्त २ प्रतिशत स्थानीय सरचाज औद्योगिक बिजली पर और लगाया गया। घरेलू कारोबार के लिये वी गयी विद्युत के एक अंश पर २१ प्रतिशत वृद्धि की गयी।



## श्रम सम्बन्धी व्यवस्था

विद्युत परिषद् कुछ कार्य अपने स्वयं के श्रमिकों से कराती है और उसका यह कार्य जो वह ठेकेदारों द्वारा कराती है, ठेकेदार के द्वारा नियुक्त श्रमिकों द्वारा किया जाता है। पिछले ५ वर्षों में विद्युत परिषद् में औसतन श्रमिक संख्या प्रतिदिन ४५ हजार रही, जिनमें से औसतन दस हजार वर्क चार्ज रहे हैं। १९५६ से जब से विद्युत परिषद् की स्थापना हुई है अब तक उसकी सेवाओं के नियम नहीं बन पाये हैं। यद्यपि परिषद् ने सरविस रूल्स और रेग्युलेशन बनाने के लिये एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति कर रखी है? परिषद् के कर्मचारियों पर जो कानूनी सलाह परिषद् को मिली है, उसके अनुसार पेमेन्ट आफ् बोनस ऐक्ट लागू नहीं होता। इसके स्थान पर परिषद् ने अपने समस्त अराजपत्रित कर्मचारियों को उनके कुल वेतन के ४ प्रतिशत की दर से द्वितीय वर्ष १९६७-६८ एवं १९६८-६९ के लिये एकस ग्रेसिया भुगतान किया। प्रोत्साहन के रूप में १ अक्टूबर, ६८ से १५ जुलाई, ६९ की अवधि के लिये अपने कुछ उत्पादन केन्द्रों में एक माह का अतिरिक्त वेतन परिषद् द्वारा इस आधार पर दिया गया कि उन्होंने बिजली उत्पादन लक्ष्यों को बनाये रखा जिससे कि परिषद् को विद्युत में कटौती (Power Cut) अधिक नहीं करनी पड़ी। सामान्यतः विद्युत परिषद् द्वारा कोई इन्सेन्टिव दिये जाने की योजना नहीं है और समिति को बताया गया कि इन्सेन्टिव योजना चालू करने से मशीनों पर अत्यन्त भार पड़ता है और उनकी क्षमता में कमी आ जाती है।

परिषद् के कार्यकाल में जिन निजी कम्पनियों को परिषद् द्वारा ले लिया गया है उनमें उस समय कर्मचारियों को जो सुविधायें प्राप्त थीं, वही सुविधायें परिषद् द्वारा अब भी दी जाती हैं जो कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत आते हैं, उनको वही सुविधायें अब भी दी जाती हैं। परिषद् के शेष कर्मचारियों व अधिकारियों को राज्य कर्मचारियों की भांति स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधायें दी जाती हैं। क्योंकि अभी परिषद् के कर्मचारियों के लिये कोई नियम नहीं बने हैं, परिषद् के स्वयं कर्मचारियों को अभी तक स्थायी नहीं किया गया है और न उनकी ज्येष्ठता निर्धारित की गई है। अभी उन सरकारी कर्मचारियों के विद्युत परिषद् में विलयन का प्रश्न भी लम्बित है, जिनकी सरकारी सेवाओं में से परिषद् में प्रति नियुक्तियों की गई हैं।

## सामान्य निष्कर्ष

यद्यपि विद्युत परिषद् से समिति द्वारा पूछे गये अनेकों विषयों पर सूचना अपेक्षित हैं, तो भी जितनी छानबीन समिति परिषद् के कार्यों की कर पाई है उससे यह निष्कर्ष निकलता है कि परिषद् काफी आर्थिक हानि उठा चुकी है और जो परिषद् की इस समय कार्य प्रणाली व गठन है, उसके अनुसार ऐसी आशा नहीं की जा सकती है कि निकट भविष्य में परिषद् लाभ पर काम कर पायेगी। परिषद् द्वारा हानि पर काम करने के कारण परिषद् द्वारा निम्नलिखित दिये गये हैं :—

(१) परिषद् अपने राजस्व (Revenue) से प्रगति निर्माण कार्यों (Works in progress) में विनियुक्ति पूंजी पर भी व्याज देता रहा है। यदि इस प्रकार के व्याज को पूंजीगत (Capitalised) कर दिया गया होता जैसी कि सामान्य वाणिज्य प्रथा है या इस प्रकार के संचित व्यय पर रेलवे में प्रचलित प्रथा के अनुसार मोरेटोरियम (moratorium) मन्जूर कर दिया गया होता तो परिषद् के कार्यकारी परिणाम में १९६५-६६ के अन्त तक ३.०३ करोड़ रु० तथा १९६६-६७ के अन्त तक ३.९८ करोड़ रु० की बचत, अबतक के ३.०७ करोड़ रु० एवं ७.५० करोड़ रु० क्रमशः। जैसा कि परिषद् के वाणिज्य खाते में इन वर्षों के

लिये दर्शाया गया है) क धाटे के स्थान पर, हुई होती। प्रगति निर्माण के कार्यों में विनियुक्त पूंजी पर दिये गये व्यय का वार्षिक (Year wise) विवरण निम्नलिखित है :—

वर्ष:	अवशेष पर व्याज Opening Balance	(४० करोड़ों में) वर्तमान व्याज Progressing
१९५६-६०	०.१४	०.१४
१९६०-६१	०.१६	०.३०
१९६१-६२	०.२४	०.५४
१९६२-६३	०.६२	१.१६
१९६३-६४	०.६०	२.०६
१९६४-६५	१.५०	३.५६
१९६५-६६	२.५४	६.१०
१९६६-६७	५.४३	११.५३
१९६७-६८	..	..

(२) उत्तर प्रदेश शासन सन् १९६६-६७ से परिषद् से एक प्रतिशत की दर से उपान्त (Margin) उस व्याज की दर के ऊपर ले रहा है जो कि राज्य सरकार को परिषदों के योजना कार्य करने हेतु पिछले ऋण पर, केन्द्रीय सरकार को देना पड़ता है। वर्ष १९६६-६७ से पहले यह उपान्त दर १/४ प्रतिशत से ३/४ प्रतिशत के अन्दर थी। बैंकटरापन समिति ने सिफारिश की थी कि राज्य सरकार द्वारा ली जाने वाली व्याज दर लगभग वही होनी चाहिये जिस दर पर राज्य सरकार खुले बाजार (ओपेन मार्केट) से ऋण प्राप्त करती है। यदि राज्य सरकार ने उक्त सिफारिश के अनुसार परिषद् को ऋण दिया होता और उपान्त (Margin) न लिया होता तो १९६५-६६ के अन्त तक दर्शाये गये शुद्ध कमी ३.०७ करोड़ ४० के बजाय शून्य होती एवं १९६६-६७ के अन्त तक की शुद्ध कमी ७.५८ करोड़ ४० के बजाय केवल ३.११ करोड़ ४० होती।

कारण

(३) थर्मल यूनिट्स का (Generation) १९६७-६८ में १९६६-६७ की अपेक्षाकृत २० प्रतिशत और १९६८-६९ में १९६७-६८ की अपेक्षाकृत ६५ प्रतिशत बढ़ गयी जबकि हाइड्रिल यूनिट का जनन बिलकुल ही नहीं बढ़ा जिसके कारण ईंधन मूल्य (Fuel Cost) से वृद्धि हो गयी।

(४) कोयले के मूल्य और भाड़े में भी वृद्धि हो गयी। ईंधन मूल्य की वृद्धि १९६७-६८ में १९६५-६६ की अपेक्षाकृत १० प्रतिशत हुई। १९६५-६६ में कोयले का औसत मूल्य ६०.०० ४० प्रति टन था। जो कि १९६७-६८ में ६६.०० ४० प्रतिटन तक बढ़ गया।

(५) खेतन अभिनवीकरण समिति की सिफारिशों, महंगाई भत्ते में वृद्धि, अन्तरिम सहायता तथा एक्सप्रेसिया भुगतान के कारण मजदूरी तथा खेतन में काफी वृद्धि हो गयी। सन् १९६७-६८ और १९६८-६९ में २० प्रतिशत औसत की वृद्धि हो गयी।

(६) बढ़े हुए ध्याज को ढूना करने के लिये प्रशुल्क ( Tariff ) को प्रत्याप्त रूप से बढ़ाया नहीं गया है ।

(७) पूर्ति एवं मांग में निरन्तर भारी अन्तर के कारण कुछ पुराने पावर स्टेशनों को चलाना पड़ रहा है यद्यपि उनका चलाना मितव्ययी ( Economical ) नहीं है ।

(८) थर्मल युनिटों के अधिक जनन के कारण उपकारिकों ( Auxiliaries ) में बृद्धि हुई जिसके फलस्वरूप घाटा बढ़ता जा रहा है । कुल थर्मल जनरेशन में उपकारिकों का उपभोग लगभग ८० प्रतिशत आता है । कुल शक्ति की हानि ( Line Losses ) जिसमें उपकारिकों का उपभोग भी शामिल है, २५ प्रतिशत से कुछ अधिक रही है । ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत् वितरण अधिक होने के कारण वितरण में शक्ति की हानि अधिक रही है ।

(९) राज्य के विस्तृत कल्याण की दृष्टि से परिषद् ने कुछ अलाभकारी प्रोग्राम ले लिये हैं, जैसे प्राइवेट ट्यूबवेल पम्पिंग सेट का विद्युतीकरण, नई ग्रामीण एवं पहाड़ी क्षेत्रों का विद्युतीकरण वर्तमान वित्तीय वर्ष में केवल ट्यूबवेल के विद्युतीकरण से ही ३,२० करोड़ रु० का घाटा होने की सम्भावना है और योजना के अन्तिम वर्ष तक यह घाटा ८ करोड़ रु० तक पहुंच जाने की सम्भावना है । चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में इस प्रकार का घाटा लगभग २८ करोड़ रु० तक हो सकता है ।

किन्तु समिति को कुछ और कारणों का भी पता लगा जिससे कि परिषद् को आर्थिक हानि हुई है । इनमें से पहला कारण है, परिषद् को समय पर भारत सरकार द्वारा संचालित संस्थानों, जैसे भारतहवी एलेक्ट्रिकल्स, इन्डिया, इत्यादि से मशीनें, कल व पूजें समय पर नहीं मिल पाये । इन संस्थानों ने आडर तो अत्यधिक ले लिये हैं किन्तु उनकी पूर्ति करना उनकी सामर्थ्य के बाहर हो रहा है । दूसरे यह संस्थान प्रायः ही विविध संस्थानों के लिये मशीनों की तैयारी के कार्यक्रम में परिवर्तन कर देते हैं, जिससे मशीनें उत्तर प्रदेश विद्युत् परिषद् को समय पर नहीं मिल पायीं । इस प्रकार मशीनें-देर से आने के कारण विद्युत् परिषद् की निम्नलिखित परियोजनाओं की पूर्ति में देरी हुई है ।

खोदरी परियोजना, जिसके सिविल कार्यों पर काफी धन व्यय हो चुका है, इसके लिये हैवी एलेक्ट्रिकल्स, भोपाल से मशीनें आनी थीं और विद्युत् परिषद् द्वारा मशीनों के समय पर मांगने पर हैवी एलेक्ट्रिकल्स, भोपाल ने बताया कि क्योंकि उनके पास पहले से काफी मात्रा में आर्डर पड़े हैं, वे उत्तर प्रदेश विद्युत् परिषद् का आडर हैवी एलेक्ट्रिकल्स, हरिद्वार को भेज रहे हैं । किन्तु भारत हैवी एलेक्ट्रिकल्स, हरिद्वार ने भी इस कार्य को लेने में अपनी असहमति प्रकट कर दी है । यही वशा १०० करोड़ रुपये की रामगंगा परियोजना की है । इस परियोजना पर यद्यपि सिविल कार्य १९७१-७२ तक पूर्ण हो जायेंगे, हैवी एलेक्ट्रिकल्स, भोपाल १९७४-७५ तक उसके लिये मशीनें देने में असमर्थ है यद्यपि उनको १९७१-७२ तक यह मशीनें देवनी चाहिये ।

परिषद् की परियोजना की स्वीकृति में भी अत्यधिक समय लगता है । क्योंकि परिषद् द्वारा बनायी गयी योजनायें पहले भारत सरकार को आती हैं और उसके पश्चात् योजना आयोग को, जहां से स्वीकृत होने में साधारणतया ३-४ वर्ष लग जाते हैं और उसी समय में बढ़ते हुये मूल्य और अन्य कारणों से परियोजना पर व्यय बढ़ जाता है । उदाहरणार्थ, आसन बैरेज व छिबरा परियोजना पर आंकी गयी लागत ३७,६६,००,००० रुपये थी जो अब बढ़ कर ५०,००,००,००० रुपये हो जायेगी । इसी प्रकार ओबरा पर आरम्भ में १०,५६,००,००० रुपये व्यय किये जाने का अनुमान था जो अब बढ़कर २४,२३,००,००० रुपये के लगभग हो जाने का अनुमान है

क्योंकि बांध बनाने के स्थान को अब बदलना पड़ा और हूँकी एलेक्ट्रिकल्स, भोपाल ने भी दी जाने वाली मशीनों का दाम बढ़ा दिया । इन परियोजनाओं में बढ़े हुए अनुमानित व्यय का कारण एक यह भी है कि इन परियोजनाओं की छानबीन पहले ठीक प्रकार से नहीं की गयी और जो सुरंग पहले १० किलोमीटर की बनने वाली थी, वह अब १४ मिलोमीटर की बनानी पड़ेगी ।

कुछ योजनाओं पर, जैसे किसान योजना, परिषद् को व्यय बहुत करना पड़ा किन्तु उसके सम्बन्ध में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय न हो सकने के कारण उस पर हुये व्यय से कोई लाभ नहीं हो रहा है । परिषद् द्वारा विविध आयोजित योजनाओं की धृति में कितना-कितना विलम्ब किस-किस योजना में हुआ है और उनसे कितनी-कितनी विद्युत् की उत्पत्ति की आकांक्षा थी, उसका आभास निम्नलिखित विवरण से मिल जायेगा, जिससे प्रतीत होगा कि पर्याप्त धनराशि व्यय करने पर भी उन योजनाओं से विद्युत् उत्पत्ति में कितना समय लगेगा ।

### पिछले पांच वर्षों की अधिष्ठापित क्षमता का विवरण

क्रम- संख्या	वर्ष एवं योजना	इकाई संख्या एवं क्षमता मे० वा०	प्रयोजना लक्ष्य	परिचालन तिथि	विवरण	
१	२	३	४	५	६	
१९६४-६५ (वास्तविक)						
१	हरदुआ गंज स्टेज ११	१ × ३०.००	११/६३	४/६४	[सिविल कार्य के पूरे होने में देरी के कारण ।	
२	माताटीला	१ × १०.००	४/६४	२/६५		
१९६५-६६ (वास्तविक)						
१	माताटीला	१ × १०.००	४/६४	६/६५		
		१ × १०.००	४/६४	६/६५		
२	यमुना ग्रेज, (अ) श्वरानी (ब) डालीपुर	१ × ११.२५ १ × ११.२५ १ × १७.००	१६६६ १६६६ १६६६	११/६५ ३/६६ १२/६५		
३	चन्वीसी	२ × ३.००	१६६५	१२/६५		
४	रिहन्द	१ × ५०.००	१६६६	३/६०		
५	मुराद नगर गैस टरवाइन	१ × १२.५०	१६६५	११/६५		
१९६६-६७						
१९६७-६८						
१	ओबरा थर्मल	१ × ५०.००	१६६५-६६	१५-८-६७	८० से पूंजी के प्राप्त होने में देरी के कारण तर्देव	
		१ × ५०.००	१२/६७	११-३-६८		
२	पनकी	१ × ३२.००	१६६७-६८	२८-११-६७		
		१ × ३२.००	१६६७-६८	२८-८-६८		
३	हरदुआगंज स्टेज ११	१ × ५०.००	१६६६-६७	२२-३-६८		
* १९६८-६९						
१	ओबरा थर्मल	१ × ५०.००	१६६६-६७	१३-१०-६७	तर्देव	
२	हरदुआ गंज	१ × ५०.००	१६६७-६८	११-१-६९	तर्देव	
योग		४६६.००				

इसी प्रकार इन प्रतिवेदन के पृष्ठ १५ से प्रतीत होगा कि विद्युत् परिषद् की जब कि विद्युत् क्षमता सन् १९६८-६९ में ११००५.२५ मिलियन यूनिट थी, उसने वास्तव में केवल ४३७१.३३ मिलियन यूनिट ही उत्पादित किया। यह भी इस बात का द्योतक है कि परिषद् द्वारा अपने विद्युत् उपकरणों का पूर्ण रूप से लाभ नहीं उठाया गया है। यद्यपि उन पर पूरा ध्यय किया जा चुका है। इसका एक उदाहरण रिहन्द डाम है, जहाँ पर शील में पानी कम हो जाने के कारण उनमें लगाई गई क्षमता से लगभग आधे के बराबर विद्युत् उत्पादित की जाती है। समिति को यह भी सूचना मिली कि बिजली की पूर्ति के लिये जो विद्युत् परिषद् बाहर से बिजली क्रय करती है उसका भी उसे कहीं बहुत अत्यधिक मूल्य देना पड़ता है। उदाहरणार्थ जो बिजली विद्युत् परिषद् बामावर रेली से लेती है वह चार पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से लेती है किन्तु जो बिजली वह दिल्ली से लेती है उसका १० पैसे प्रति यूनिट देती है।

कुछ छोटे-छोटे परिषद् के कारोबार में हानि होने के अन्य कारण भी हैं जैसे बिजली के वितरण में लगभग १६ प्रतिशत का हास विद्युत् के उत्पादन व वितरण में ३२.७ ओवर हैड व्यय, व कर्मचारियों के यात्रा भत्ते पर उनकी देय वेतन इत्यादि के १९६७-६८ में लगभग २५ प्रतिशत का व्यय, जिसकी धनराशि उक्त वर्ष में केवल एक करोड़ रुपये के ऊपर थी। उक्त वर्ष में यात्रा भत्ते पर इतना अधिक व्यय इस कारण हुआ कि तब सेन्ट्रल एकाउन्टिंग की प्रक्रिया अपनाई जाती थी जिससे अनेक कर्मचारियों व पदाधिकारियों को लखनऊ आना पड़ता था किन्तु अब इस लेखा प्रक्रिया में बदलाव कर दिया गया है, जिससे यह आशा दिलाई गई है कि यात्रा भत्ते पर व्यय अब ७५.८० लाख ही रह जायेगा। यद्यपि समिति की राय में यह व्यय और परिषद् के उन बाहनों पर व्यय, जो परिषद् के पदाधिकारी व कर्मचारी परिषद् के काम के लिये कार्य में लाते हैं, मिलकर अब भी अत्यधिक होगा।

जब समिति द्वारा परिषद् के अधिकारियों का ध्यान इस ओर दिलाया गया कि परिषद् को अधिनियम के अनुसार हानि पर कार्य नहीं करना चाहिये, तो समिति को बताया गया कि उनको सरकारी आदेशों के अनुसार विद्युत् की दरों को नीचा रखना पड़ता है। और इस कारण वह उस हानि को विद्युत् की दरों से पूरा नहीं कर पाते। समिति की राय में परिषद् के ऊपर उस अधिनियम की धारायें अधिक बाध्य हैं जिनके अनुसार उसका गठन हुआ है अरु राज्य सरकार भी परिषद् को ऐसा निवेश नहीं दे सकती, जो विद्युत् (पूर्ति) अधिनियम, १९४८, के प्राविधानों के विरुद्ध हो। यदि इस प्रकार उक्त अधिनियम के प्राविधानों का स्पष्टतः उल्लंघन हो रहा है, समिति की राय में यदि सरकार की ऐसी नीति है कि परिषद् द्वारा विद्युत् की दरें इतनी न लगायी जाय, जिससे कि विविध प्रकार के उपभोक्ताओं पर किसी प्रकार का अनुचित प्रभाव पड़े तो सरकार को चाहिये कि यदि वह परिषद् के अन्य कार्य कलापों में ऐसा परिवर्तन न कर सके कि परिषद् अपना व्यय कम करके बिना हानि के कार्य कर सके तो वह परिषद् को उसी प्रकार से हानि पूर्ति के लिये अनुदान देती रहे जिस प्रकार से सन् १९६२ तक देती रही थी।

विद्युत् पूर्ति अधिनियम की धारा ६१ (३) में प्राविधान है कि विद्युत् परिषद् का वार्षिक वित्त विवरण, पूरक वित्तीय विवरण यदि कोई हो, परिषद् द्वारा सरकार को प्रत्येक वर्ष के फरवरी माह तक प्रस्तुत किया जायेगा जिसे सरकार विधान मंडल के दोनों सदनों की भेज पर रखवायेगी। जहां तक समिति छानबीन कर पाई है, केवल १९६६-७० का वित्तीय विवरण परिषद् की स्थापना के पश्चात् प्रथम बार २८ अगस्त, १९६६ को रखा गया। इन वित्तीय विवरणों पर सदन को उक्त धारा की उपधारा (३) व (४) के अन्तर्गत चर्चा करने का अधिकार है और परिषद् पर यह उत्तरदायित्व है कि सदन में इस विषय पर की गई चर्चा की ओर ध्यान दे। सरकार द्वारा यह वित्तीय विवरण पहले न रखे जाने से न केवल अधिनियम की उक्त धारा का उल्लंघन किया गया वरन् विधान परिषद् को इस महत्वपूर्ण विषय पर अपना विचार प्रगट करने के अवसर से वंचित किया गया।

इसी प्रकार अधिनियम की धारा ६६(५) के अन्तर्गत परिषद् के परीक्षित लेखों को सरकार द्वारा विधान मंडल के दोनों सदनों की मेज पर रखवाया जाना आवश्यक है। इस ओर परिषद् के पदाधिकारियों का भी ध्यान समिति द्वारा दिलाया गया। कदाचित् समिति द्वारा इस ओर परिषद् का ध्यान दिलाये जाने के पश्चात् ही ८ मई, १९७० को सरकार द्वारा परिषद् के १९५६-६० से लेकर १९६७-६८ के वार्षिक लेखे सदन की मेज पर रखे गये। समिति अभी उक्त लेखों का अध्ययन नहीं कर पाई है और न उनसे उठने वाले प्रश्नों के सम्बन्ध में परिषद् या सरकार से स्पष्टीकरण करा पाई है। इस कारण उस सम्बन्ध में अभी समिति किसी मत के प्रगट करने में असमर्थ है।

समिति को अभी परिषद् के प्रशासकीय गठन, उसकी प्रशासकीय दक्षता व लेखों इत्यादि के सम्बन्ध में विस्तार से ब्रानवीन करने का समय नहीं मिला और न अभी समिति को किसी अन्य प्रदेश की विद्युत् परिषद् गठन व कार्य कलापों के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हो सकी है, जिसके आधार पर अपने प्रदेश की परिषद् व अन्य प्रदेशों की परिषदों की दक्षता व उनकी कार्य क्षमता व कार्य प्रक्रिया के सम्बन्ध में कोई ठोस सुझाव समिति दे सके, इन विषयों पर समिति सूचना प्राप्त करके सदन को भविष्य में अपना प्रतिवेदन देगी।

वीरेन्द्र स्वरूप,

सभापति,

सार्वजनिक कारोबार समिति,  
विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश।

## परिशिष्ट 'क'

### THE ELECTRICITY (SUPPLY) ACT, 1948 [ACT No. 54 OF 1948]

S.3. (1) The Central Government shall constitute a body called the Central Electricity authority generally to exercise such functions and perform such duties under the Act and in such manner as the Central Government may prescribe or direct, and in particular to—

Consti-  
tution of  
the Central  
Electricity  
Authority.

(i) develop a sound, adequate and uniformational power policy, and particularly to co-ordinate the activities of the planning agencies in relation to the control and utilisation of national power resources ;

(ii) act as arbitrators in matters arising between the State Government or the Board and a licensee or other person as provided in this Act ;

(iii) carry out investigations and to collect and record the date concerning the generation, distribution and utilisation of power and development of power resources ; and

(iv) make public from time to time information secured under this Act and to provide for the publication of reports and investigations.

(2) The Authority shall consist of not more than six members appointed by the Central Government.

(3) The Central Government shall appoint one of the members to be the Chairman of the Authority.

(4) All the members of the Authority shall hold office during pleasure of the Central Government.

(5) No full time member of the Authority shall be directly or indirectly concerned or interested in or have any share or interest in any company or other body corporate or an association of persons (whether incorporated or not) or a firm engaged in the business of supplying electrical energy or fuel, solid or liquid, for the generation of electricity.

(6) The authority may appoint a Secretary and such other officers and servants as it considers necessary for the performance of its functions under this Act on such terms as to salary, remuneration, fee allowance, pension, leave and gratuity, as the authority may, in consultation with the Central Government, fix :

Provided that the appointment of the Secretary shall be subject to the approval of the Central Government.

(7) The Authority may act by two of its members in all matters.

Power to require accounts statistics and returns.

S.4. It shall be the duty of each State Electricity Board, State Government Electricity Department or other licensee or person supplying electricity for public or private purposes, or generating electricity for its or his own use, to furnish to the Authority such accounts, statistics and returns relating to the generation, supply and use of electricity as it may require and at such times and in such form and manner as it may direct.

Constitution and composition of State Electricity Boards.

S.5. (1) The State Government shall as soon as may be after the issue of the notification under sub-section (4) of section 1, constitute by notification in the official *Gazette*, a State Electricity Board under such name as shall be specified in the notification.

(2) The Board shall consist of not less than three and not more than seven members appointed by the State Government.

(3) Sub-section (3) omitted by Act no. 57 of 1949, s.4.

(4) Of the members—

(a) one shall be a person who has experience of, and his shown capacity in, commercial matter and administration ;

(b) one shall be electrical engineer with wide experience ; and

(c) one shall be a person who has experience of accounting and financial matters in a public utility undertaking, preferably and electricity supply undertaking.

(5) One of the members possessing any of the qualification specified in sub-section (4) shall be appointed by the State Government to be the Chairman of the Board.

(6) A person shall be disqualified from being appointed or being a member of the Board if he is, or within the twelve months last preceding was member of (Parliament) or of any State Legislature or any local authority.

(7) No act done by the Board shall be called in question on the ground only of the existence of any vacancy in, or any defect in the constitution of the Board.

Incorporation of Board.

S.12. The Board shall be a body corporate by the name notified under sub-section (1) of section 5, having perpetual succession and a common seal with power to acquire and hold property both movable and immovable, and shall by the said name sue and be sued.

State Electricity Consultative Council.

S.16. (1) The State Government shall constitute a (State Electricity Consultative Council) for the State and in cases to which sections 6 and 7 apply, the State Governments concerned shall constitute such one or more (State Electricity Consultative Council) or Councils and for such areas as they may by agreement determine.



(2) The (State Electricity Consultative Council) shall consist of the members of the Board and such other persons being not less than seven and not more than fifteen as the State Government or the State Government concerned may appoint after consultation with such representatives or bodies representative of the following interests as the State Government or the State Governments concerned think fit, that is to say local self-Government, Electricity supply industry, commerce, industry, transport, agriculture, (labour employed in the electricity supply industry and consumers of electricity) but so that there shall be at least one member representing each such interest in the Council.

(3) The Chairman of the Board shall be *ex-officio* Chairman of the (State Electricity Consultative Council).

(4) The (State Electricity Consultative Council) shall meet at least once in every three months.

(5) The functions of the (State Electricity Consultative Council) shall be as follows :

(i) to advise the Board on major questions of policy and major schemes ;

(ii) to review the progress and the work of the Board from time to time,

(iii) to consider such other matters as the Board may place before it ; and

(iv) to consider such matters as the State Government may by rule prescribe.

(6) The Board shall place before the (State Electricity Consultative Council) the annual financial statement and supplementary statement, if any, before submitting such statement to the State Government under section 61 together with copies of the report and proceedings.

S.17. (1) The State Government may from time to time constitute for such areas as it may determine local Advisory Committees consisting of such number of persons as it may think fit in each case and on such terms and conditions as may be prescribed.

Local  
Advisory  
Committee.

(2) The Board may if it thinks fit consult the Local Advisory Committees concerned on any business coming before it and shall so do in respect of such business as the State Government may by general or special order in this behalf specify or when required by the regulations so to do.

(3) The Chairman of the Board or such other member of the Board as he may nominate in this behalf shall be *ex-officio* Chairman of a Local Advisory Committee.

(4) Local Advisory Committee shall meet at such intervals as may be prescribed, and for the transaction of urgent business on such other occasions as the Chairman of the Board may require.

(5) The number of members necessary to constitute a quorum at a meeting of a Local Advisory Committee shall be such as the State Government when constituting the Committee may specify.

**General  
Duties  
of the  
Board.**

S.18. Subject to the provisions of this Act, the Board shall be charged with the general duty of promoting the co-ordinated development of the generation, supply and distribution of electricity within the state in the most efficient and economical manner with particular reference to such development in areas not for the time being served or adequately served by any licensee and without prejudice to the generality of the foregoing provisions it shall be the duty of the Board—

(a) to prepare and carry out schemes sanctioned under Chapter V ;

(b) to supply electricity to owners of controlled stations and to licensees whose stations are closed down under this Act ;

(c) to supply electricity as soon as practicable to any other licensee or persons requiring supply and whom the Board may be competent under this Act so to supply.

**Powers  
of the  
Board to  
Supply  
Electricity.**

S.19. (1) The Board may, subject to the provisions of this Act supply electricity to any licensee or person requiring such supply in any area in which a scheme sanctioned under Chapter V is in force :

Provided that the Board shall not—

(a) supply electricity for any purpose directly to any licensee for use in any part of the area of supply of a bulk-licensee without the consent of the bulk-licensee, unless the licensee to be supplied has an absolute right of veto on any right of the bulk licensee to supply electricity for such purpose in the said part of unwilling to supply electricity for such purpose in the said part of such area on reasonable terms and conditions and within a reasonable time, or

(b) supply electricity for any purpose to any person, not being a licensee for use in any part of the area of supply of a licensee without the consent of the licensee, unless—

(i) the actual effective capacity of the licensee's generating station computed in accordance with paragraph IX of the First Schedule at the time when such supply was required was less than twice the maximum demand asked for by any such person ; or

(ii) the maximum demand of the licensee, being a distributing licensee and taking a supply of energy in bulk is, at the time of the request, less than twice the maximum demand asked for by any such person ;  
or

(iii) the licensee is unable or unwilling to supply electricity for such purpose in the said part of such area on reasonable terms and conditions and within a reasonable time.

(2) After the Board has declared its intention to supply electricity for any purpose in any area, for which purpose and in which area it is under this section competent to supply electricity, no licensee shall, the provisions of his license notwithstanding at any time be entitled without the consent of the Board to supply electricity for that purpose in that area.

(3) For the purposes of sub-section (1) "absolute right of veto" means an unqualified right vested in a licensee by virtue of any law, license or other instrument whereby a bulk-licensee is prevented from supplying electricity in any specified area without the consent of the licensee in whom the right of veto vests.

(4) If any question arises under sub-section (1) as to the reasonableness of the terms or conditions or time therein mentioned, it shall be determined as provided in section 76.

S.20. (1) The Board may, in accordance with any regulations made in this behalf, manufacture, purchase, sell or let on hire on the execution of a hire-purchase agreement or otherwise any electric machinery, control-gear, fittings, wires or apparatus for lighting heating, cooling or motive power or for any other purpose for which electricity can or may be used, or any industrial or agricultural machinery operated by electricity, and may instal, connect, repair, maintain or remove such fittings, wires, apparatus, machinery or control gear and in respect thereof demand and take such remuneration or rents and charges and make such terms and conditions as it deems fit.

Power of Board to engage in certain undertakings.

(2) The Board may maintain shops and showrooms for the display sale or hire of fittings, wires, apparatus and machinery as aforesaid, conduct displays, exhibitions and demonstrations thereof and generally do all things, including advertising, incidental to the sale and hire of such fittings, wires, apparatus and machinery and the promotion and encouragement of the use of electricity.

(3) The Board shall show separately in its accounts moneys received and expended by it in connection with any undertakings in which it engages under this section.

S.21. The Board may, with the previous approval of the State Government take such measures as in the opinion of the Board are calculated to advance the development of water-power in the State, and may organise and carry out power and hydrometric survey work and cause to be made such maps, plans, sections and estimates as are necessary for any of the said purposes :

Power of Board in relation to water power.

Provided that where any such measures relate to a source of water power already operated upon by a licensee under a licence, the Board shall give the licensee notice of such measure and an opportunity to be heard on any representations he may desire to make in that behalf and may consider such representations.

Power of Board to Conduct Investigations.

S.22. Subject so far as the provisions of this section relate to water-power to the previous approval of the State Government, the Board may at its own expense conduct such investigations, experiments and trials as it thinks fit for the improvement of the improvement of the methods of transmission, distribution and supply or of electricity or of the utilisation of fuel, water-power or other means of generating electricity, and may establish and maintain laboratories for the testing and standardisation of electrical instruments and equipment.

Publication and sanctioning of schemes.

S.29. (1) (Unless otherwise directed by the State Government or the Authority, the Board shall send a copy of every scheme prepared under section 28 to the State Government and to the Authority and shall cause every such scheme) to be published in the official *Gazette* and in such local newspapers as it may consider necessary, and shall give public notice of the, date, not being less than two months after the date of the notice by which licenses and other persons interested may make representations thereon and when publishing such a scheme the Board shall show estimates of the capital expenditure involved and of the initial and ultimate revenues anticipated from the sale of energy, meter rentals and other services.

(2) The Board, after considering any such representations and after making such inquiries, if any, as it thinks fit, may sanction the scheme either without modification or subject to such modifications as it thinks fit and either generally or in respect of any part of the area specified in the published scheme, and shall publish the scheme as sanctioned by it; and where the scheme has been sanctioned in respect of part of the said area, it may subsequently be sanctioned in respect of other parts of that area :

Provided that no sanction shall be accorded by the Board to any scheme or part of a scheme estimated to result in a capital expenditure exceeding (one crore of rupees) without prior consultation with the Authority and until, any recommendations which the Authority may, in accordance with the provisions of this Act, make upon such consultation have received due consideration by the Board :

Provided further that where the recommendations of the Authority in regard to any scheme are not accepted by the Board, the Board shall not sanction the scheme without the previous consent of the State Government.

(3) In respect of any scheme to which the first proviso to subsection (2) applies, the Board shall, within one month after being requested by the Authority so to do supply the Authority with all such information incidental or supplementary to the scheme as may be specified in the request.

Supply by the Board of licences owning generating stations.

S.35. The Board may at any time declare to a licensee owning a generating station, other than a controlled station, situate within an area for which a scheme is in force that it is ready to make a supply of electricity available to the licensee for the purposes of his undertaking and thereupon, but without prejudice to the provisions of section 47, the provisions of the Second Schedule shall apply in respect of the relations between the Board and the said licensee.

S.46. (1) A tariff to be known as the Grid Tariff shall, in accordance with any regulations made in this behalf, be fixed from time to time by the Board in respect of each area for which a scheme is in force, and tariffs fixed under this section may, if the Board thinks fit, differ for different areas.

The Grid  
Tariff.

(2) Without prejudice to the provisions of section 47, the Grid Tariff shall apply to sales of electricity by the Board to licensees where so required under any of the First, Second and Third Schedules, and shall, subject as hereinafter provided, also be applicable to sales of electricity by the Board to licensees in other cases :

Provided that if in any such other case it appears to the Board that having regard to the extent of the supply required the transmission expenses involved in affording the supply are higher than those allowed in fixing the Grid Tariff, the Board may make such additional charges as it considers appropriate.

(3) The Grid Tariff shall be so framed as include as part of the charge, and show separately a fixed kilowatt charges component and a running charges component :

Provided that if in respect of any area the electricity to be sold by the Board is wholly or substantially derived from hydro-electric sources, the running charges component may be omitted.

(4) The fixed kilowatt charges component in the Grid Tariff may be framed so as to vary with the magnitude of maximum demand.

(5) Where only a portion of a licensee's maximum demand for the purposes of his undertaking is chargeable at the Grid Tariff, the price payable for that portion shall not be greater than the average price which would have been payable had the hold of the said maximum demand of the licensee been chargeable at the Grid Tariff.

(6) The Grid Tariff may contain provisions for—

(a) adjustment of price having regard to the power factor of supply taken or the cos. of pule or both ;

(b) a minimum charge related to a past or prospective demand of a licensee on the Board.

(7) The Grid Tariff may contain such other terms and conditions, not inconsistent with this Act and the regulations, as the Board thinks fit.

S.49. Subject to the provisions of this Act and of any regulations made in this behalf, the Board may supply electricity to any person not being a licensee upon such terms and conditions as the Board may from time to time fix having regard to the nature and geographical position of the supply and the purposes for which it is required :

Provision  
for the  
sale of  
electricity  
by the  
Board to  
persons  
other than  
licensees.

Provided that in fixing any such terms and conditions the Board shall not show undue preference to any person.

Rating  
Committees.

S.57-A. (1) Where the provisions of the Sixth Schedule and the Seventh Schedule are under section 57 deemed to be incorporated in the licence of any licensee, the following provisions shall have effect in relation to the said licensee, namely :

(a) the Board or where no Board is constituted under this Act ; the State Government—

(i) may, if satisfied that the licensee has failed to comply with any of the provisions of the Sixth Schedule ; and

(ii) shall, when so requested by the licensee in writing, constitute a rating committee to examine the licensee's charges for the supply of electricity and to make recommendation in that behalf to the State Government :

Provided that where it is proposed to constitute a rating committee under this section on account of the failure of the licensee to comply with any provisions of the Sixth Schedule, such committee shall not be constituted unless clear days (which period if the circumstances so warrant may be extended from time to time) to show cause against the action proposed to be taken :

Provided further that no such rating committee shall be constituted if the alleged failure of the licensee to comply with any provisions of the Sixth Schedule raises any dispute or difference as to the interpretation of the said provisions or any matter arising there from and such difference or dispute has been referred by the licensee to the arbitration of the Authority under paragraph XVI of that Schedule before the notice referred to in the period of the preceding proviso was given or is so referred within the period of the said notice :

Provided further that no rating committee shall be constituted in respect of a licensee within three years from the date on which such a committee has reported in respect of the licensee, unless the State Government declares that in his opinion circumstances have arisen rendering the orders passed on the recommendations of the previous rating committee unfair to the licensee or any of his consumers.

(b) a rating committee under clause (a) shall,—

(i) where such committee is to be constituted under sub-clause (i) of that clause, be constituted not later than three months after the expiry of the notice referred to in the first proviso to that clause ;

(ii) where such committee is to be constituted at the request of the licensee, constituted within three months of the date of such request ;

(c) a rating committee shall, after giving the licensee, a reasonable opportunity of being heard and after taking into consideration the efficiency of operation and management and the potentialities of his undertaking, report to the State Government within three months from the date of its constitution, making recommendations with reasons therefore, regarding the charges for electricity which the licensee may make to any class or classes of consumers so, however, that the recommendations are not likely to prevent the licensee from earning clear profit sufficient when taken with the sums available in the Tariffs and Dividends Control Reserve to afford him a reasonable return as defined in the Sixth Schedule during his next succeeding three years of account :

Provided that the State Government may, if it so deems necessary extend that said period of three months by a further period not exceeding three months within which the report of the rating committee may be submitted to it. ;

(d) within one month after the receipt of the report under clause (c) the State Government shall cause the report to be published in the official *Gazette*, and may at the same time make an order in accordance therewith fixing the licensee's charges for the supply of electricity with effect from such date, not earlier than two months or later than three months, after the date of publication of the report as may be specified in the order and the licensee shall forthwith give effect to such order ;

(e) the charges for the supply of electricity fixed under clause (d) shall be in operation for such period not exceeding three years as the State Government may specify in the order :

Provided that nothing in this clause shall be deemed to prevent a licensee from reducing at any time any charges so fixed :

(2) Where a Board is constituted under this Act, the rating committee shall consist of three members as follows :

(i) one member shall be nominated by the State Government who shall be a person who is or has been a judicial officer not below the rank of a District Judge ;

(ii) one member shall be a member of the Board having experience of accounting and financial matters ; and

(iii) one member shall be a representative co-opted jointly by the two members referred to in clauses (i) and (ii) from an association, of licensees of which the licensee concerned is or is eligible to be a member, and if there is no such association, from such Chamber of Commerce or similar body as the State Government may direct.

(3) Where no Board is constituted under this Act, the Rating Committee shall consist of five members of whom three members shall be nominated by the State Government, one member shall be nominated by the licensee and one member shall be nominated by the association referred to in sub-section (2) or if there is no such association, by such Chamber of Commerce or similar body as the State Government may direct.

(4) Of the three members to be nominated by the State Government under sub-section (3), one shall be a person who is or has been a judicial officer not below the rank of a District Judge, one shall be a registered accountant within the meaning of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949), having at least ten years experience and one shall be a person with administrative experience.

(5) The judicial member of a rating committee shall be its Chairman.

(6) A Rating Committee may act notwithstanding that one of its members is absent.

(7) The expenditure incurred in connection with a rating committee as certified by it shall be payable,—

(a) where the rating committee was constituted at the request of a licensee or where the rating committee has hold that the licensee has failed to comply with any of the provisions of the Sixth Schedule, by the licensee from that part of the clear profit to which the licensee is entitled under that Schedule ;

(b) in any other case, by the Board or the State Government, as the case may be.

(8) Where a licensee makes default in paying any amount which he is liable to pay under sub-section (7), such amount may, on application to a Civil Court having jurisdiction, be recovered from the licensee by the distress and sale of any movable property of the licensee.

**General Principles for Board's finance.**

S.59. The Board shall not, as far as practicable and after taking credit for any subventions from the State Government under section 63, carry on its operations under this Act at a loss, and shall adjust its charges accordingly from time to time :

Provided that where necessary any amounts due for meeting the operating, maintenance and management expenses of the Board or for the purposes of clauses (i) and (ii) of section 67 may, to such extent as may be sanctioned by the State Government, be paid out of capital.

**Annual Financial statement.**

S.61. (1) In February of each year the Board shall submit to the State Government a statement in the prescribed form of the estimated capital and revenue receipts and expenditure for the ensuing year.



(2) The said statement shall include a statement of the salaries of members, officers and servants of the Board and of such other particulars as may be prescribed.

(3) The State Government shall as soon as may be after the receipt of the said statement cause it to be laid on the table of the (House), or as the case may be (Houses) of the State Legislature ; and the said statement shall be open to discussion therein, but shall not be subject to vote.

(4) The Board shall take into consideration any comments made on the said statement in the State Legislature.

(5) The Board may at any time during the year in respect of which a statement under sub-section (1) has been submitted, submit to the State Government a supplementary statement and all the provisions of this section shall apply to such statement as they apply to the statement under the said sub-section.

S.62. (1) Save where in the opinion of the Board circumstances of extreme urgency have arisen, no sum exceeding twenty-five thousand rupees on account of recurring expenditure or exceeding one lakh of rupees on account of non-recurring expenditure shall be expended by the Board in any year of account unless such sum has been included in a statement submitted under sub-section (1) or sub-section (5) of section 61.

Restriction on unbudgeted expenditure.

(2) Where any such sum is expended under circumstances of extreme urgency a report thereon indicating the source from which it is proposed to meet the expenditure shall be made as soon as practicable to the State Government.

S.63. The State Government may, with the approval of the State Legislature, from time to time make subventions to the Board for the purposes of this Act on such terms and conditions as the State Government may determine.

Subventions to the Board.

S.64. The State Government may from time to time advance loans to the Board on such terms and conditions, not inconsistent with the provisions of this Act, as the Government may determine.

Loans to the Board.

S.65. (1) The Board, may, from time to time, with the previous sanction of the State Government and subject to the provisions of this Act and to such conditions as may be prescribed in this behalf borrow any sum required for the purposes of this Act.

Power of Board to borrow.

(2) Rules made by the State Government for the purposes of this section may empower the Board to the borrow by the issue of bonds or stock or otherwise and to make arrangements with bankers and may apply to the Board with such modifications as may be necessary to be consistent with this Act the provisions of the Local Authorities Loans Act, 1914 (9 of 1914) and the rule made there-under as if the Board were a local authority.

(3) The maximum amount which the Board may at any time have on loan under sub-section (1) shall be ten crores of rupees, unless the State Government, with the approval of the State Legislative Assembly, fixes a higher maximum amount.

(4) Stock issued by the Board under this section shall be issued transferred, dealt with and redeemed in such manner as may be prescribed.

Guarantee  
of loans.

S.66. The State Government may guarantee in such manner as it thinks fit the payment of the principal and interest of any loan proposed to be raised by the Board or of either the principal or the interest :

Provided that the State Government shall so long as any such guarantees are in force, lay before the (House) or, as the case may be, (Houses) of the State Legislature in every year during the budget session a statement of the guarantees, if any, given during the current financial year of the state and up-to-date account of the total sums, if any, which have been paid out of the State revenues towards payment of any money so paid out.

Accounts  
and  
Audit

S.69. (1) The Board shall cause proper accounts and other records in relation thereto to be kept, including a proper system of internal check and prepare an annual statement of accounts, including the profit and loss account and the balance-sheet in such form as may be prescribed by the State Government in consultation with the Comptroller and Auditor-General of India.

(2) The accounts of the Board shall be audited by the Comptroller and Auditor-General of India or by such persons as he may authorize in this behalf and any expenditure incurred by him in connection with such audit shall be payable by the Board to the Comptroller and Auditor-General of India.

(3) The Comptroller and Auditor-General of India and any person authorized by him in connection with the audit of the accounts of the Board shall have the same rights, privileges and authority in connection with such audit as the Comptroller and Auditor-General of India has in connection with the audit of Government accounts and in particular shall have right to demand the production of books, accounts, connected vouchers and other documents and papers, and to inspect any of the offices of the Board.

(4) The account of the Board as certified by the Comptroller and Auditor-General of India or any other person authorized by him in this behalf together with the audit report thereon shall be forwarded annually to the State Government and that Government may issue such instructions to the Board in respect thereof it deems fit and the Board shall comply with such instructions.

(5) The State Government shall—

(a) cause the accounts of the Board together with the audit report thereon forwarded to it under sub-section (4) to be laid annually before the State Legislature ; and

(b) cause the accounts of the Board to be published in the prescribed manner and make available copies thereof on sale at a reasonable price.

S.75. (1) The Board shall, before such date and in such form as may be prescribed, submit to the State Government and annual report upon such matters as may be prescribed, and the State Government shall cause such report to be published in the official *Gazette*.

Annual reports and statistic and returns.

[ (1-A) Without prejudice to the provisions of sub-section (1), the Board shall, as soon as may be after the end of each financial year, prepare and submit to the State Government in such form as may be prescribed a report giving an account of its activities during the previous financial year and the report shall also give an account of the activities, if any, which are likely to be undertaken by the Board in the next financial year ; and the State Government shall cause every such report to be laid before the State Legislature as soon as may be after it is received by the State Government].

(2) The Board shall furnish to the State Government at such times and in such Form and manner as may be prescribed or as the State Government may direct, such statistics and returns and such particulars in regard to any proposed or existing scheme as the State Government may from time to time require.

(3) The Board may at any time by notice in writing require any licensee or person supplying electricity for public or private purposes or generating electricity for his own use to furnish in with such information and accounts relating to such supply or generation and in such form and manner as the notice may specify.

S.78-A. (1) In the discharge of its functions, the Board shall be guided by the such directions on questions of policy as may be given to it by the State Government.

Directions by the State Government.

(2) If any dispute arises between the Board and the State Government as to whether a question is or is not a question of policy, it shall be referred to the Authority whose decision thereon shall be final.

S.80. (1) For the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (II of 1922), the Board shall be deemed to be a company within the mening of that Act and shall be liable to income-tax and super tax accordingly on its income, profits and gains.

Provision relating to income-tax and Super-tax

(2) The State Government shall not be entitled to any refund of any such taxes paid by the Board.

## परिशिष्ट 'ख'

प्रति यूनिट पैसों में, १-५-६२ को लागू विद्युत वितरण दरों तथा वर्तमान माध्यमिक पुनरीक्षित दरों का औसत विवरण

उत्तर प्रदेश परिषद्

गंगा / शारदा ग्रिड

क्रम- सं०	उपभोक्ताओं का वर्ग	दिनांक १ मई, १९६२ को लागू दरें	माध्यमिक पुनरीक्षण				अंतिम पुनर्निरीक्षित दरों के अनुसार वर्तमान दरें		१ मई, १९६२ की दरों से ३१ मार्च, ६२ की वर्तमान दरों में उतार या चढ़ाव	वृद्धि अथवा घटाव का प्रतिशत
			संख्या १		संख्या २		तिथि	दर		
			तिथि	दर	तिथि	दर				
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
१	डोमेस्टिक लाइटिंग, ३० क० डब्लू० एच० (माह)	३५.००	..	..	..	..	१-७-६८	३५.००	..	..
२	डोमेस्टिक हीट एन्ड स्माल पावर १०० क० डब्लू० एच० (माह)	१६.००	१-६-६७	२२.८०	..	..	१-७-६८	२३.००	४.००	+२१ प्रतिशत
३	कम्बाइन्ड डोमेस्टिक लोड १३० क० डब्लू० एच० (माह)	..	..	..	..	..	..	३०.६६	..	..
४	कामशियल लाइटिंग २०० क० डब्लू० एच० (माह)	३५.००	१-६-६७	..	..	..	१-७-६८	३५.००	..	..
५	कामशियल हीट एन्ड स्माल पावर ४०० क० डब्लू० एच० (माह)	१६.००	६-६-६७	२२.८०	..	..	१-७-६८	२३.००	४.००	+२१ प्रतिशत
६	कम्बाइन्ड कामशियल लोड ६०० क० डब्लू० एच० (माह)	..	..	..	..	..	१-७-६८	३५.००	..	..
७	एसीकल्चर १० एच० पी० १६ एच० पी०, १५ प्रतिशत एल०एफ०	..	..	..	..	..	..	..	..	..
८	१७ क० डब्लू० एच० (माह)	१२.००	१-६-६७	१४.४	..	..	१-७-६८	१५.००	३.०	+२५ प्रतिशत

क	स्माल इन्डस्ट्री १० को० डब्लू० २८% एल० एफ०, १४० को० डब्लू० एच० (माह)	१२.००	१-६-६७	१४.५	..	..	१-७-६८	१८.००	९.००	+५० प्रतिशत
ख	मीडियम इन्डस्ट्री ५० को० डब्लू० ३० प्रतिशत एल० एफ०, १०६ ५० को० डब्लू० एच० (माह)	१६.८	१-६-६७	१२.६६	..	..	१-७-६८	१९.००	५.२०	+४८ प्रतिशत
१०	लार्ज इन्डस्ट्री १२४० को० डब्लू० ४० प्रतिशत, ७३००० को० डब्लू० एच० (माह)	६.७८	१-६-६७	१२.२५	..	..	१-७-६८	१२.८७	३.०६	+३१.६ प्रतिशत
११	लार्ज इन्डस्ट्री सेक्ट (१००० को० डब्लू० ५० प्रतिशत एल० एफ०, ३६५,००० को० डब्लू० एच० (माह)	८.०६	१-६-६७	१०.२२	..	..	१-७-६८	११.३०	३.२१	+३६.७ प्रतिशत
१२	हैवी इन्डस्ट्री ५००० को० डब्लू०, ६० प्रतिशत एल० एफ० २१६०,००० को० डब्लू० एच० (माह)	७.२५	१-६-६७	६.२०	..	..	१-७-६८	६.८८	२.६४	+३६.५ प्रतिशत
१३	ब्लक सप्लाय टू लाइसेंसी (२००० को० डब्लू० ६० प्रतिशत एल० एफ०) ८७६००० को० डब्लू० एच० (माह)	६.४३	१-१२-६७	१२.४८	..	..	१-१०-६८	१२.६१	३.४८	+३६.८ प्रतिशत

कोल सरचार्ज निम्न प्रकार से लागू होता है—

वर्ग १०, ११, १२ तथा १३—

दिनांक—१ मई, १९६२	..	..	०
१ सितम्बर, १९६७	..	..	३.१३८
१ दिसम्बर, १९६७	..	..	२.५७
२१ मार्च, १९६९	..	..	३.११
	..	..	१.०७

## विवरण 'बी'

१-५-१९६२ को चालू आसत दरों का तुलनात्मक विवरण नये पैसे प्रति यूनिट में  
उत्तर प्रदेश परिषद

रिहन्द ग्रिड

क्रम- सं०	उपभोक्ताओं का वर्ग	दिनांक १ मई, १९६२ को लागू वर	माध्यमिक पुनरीक्षण				अंतिम पुनरीक्षित दरों के अनुसार वर्तमान दरें		१ मई, १९६२ की दरों से ३१ मार्च, १९६६ में वर्तमान दरों में उतार चढ़ाव	वृद्धि अथवा घटाव का प्रतिशत	
			संख्या १		संख्या २		दरें				
			तिथि	वर	तिथि	वर	तिथि	वर			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	
१	डोमेस्टिक लाइटिंग ३० के० डब्ल्यू० एच० (माह)	..	३५.००	१-६-६७	..	..	..	१-७-६८	३५.००	..	..
२	डोमोस्टिक हीट एन्ड स्माल पावर १०० के० डब्ल्यू० एच० (माह)	१६.००	१-६-६७	२२.८०	..	..	१-७-६८	२३.००	४.००	+ २१ प्रतिशत	
३	कम्वाइन्ड डोमेस्टिक लोड १३० के० डब्ल्यू० एच० (माह)	..	..	..	..	..	..	३०.६६	..	..	
४	कामशियल लाइटिंग २०० के० डब्ल्यू० एच० (माह)	..	३५.००	१-६-६७	..	..	१-७-६८	३५.००	..	..	
५	कामशियल हीट एन्ड स्माल पावर ४०० के० डब्ल्यू० एच० (माह)	१६.००	१-६-६७	२२.८०	..	..	१-७-६८	२३.००	४.००	+ २१ प्रतिशत	
६	कम्वाइन्ड कामशियल लोड ६०० के० डब्ल्यू० एच० (माह)	..	..	..	..	..	..	..	..	..	

३

७	एप्रोकल्चर १० एच० पी० २५ प्रतिशत एल० एफ०, ८१७ के० डब्ल्यू० एच० (माह)	१२.५०	..	..	..	..	१-७-६१ १५.००	२.५०,	+२० प्रतिशत
८	स्माल इन्डस्ट्री १० के० डब्ल्यू० २० प्रतिशत एल० एफ०, १४६० के० डब्ल्यू० एच० (माह)	१२.५०	१-६-६७	..	..	..	१-७-६८ १८.००	५.५०	+४४ प्रतिशत
९	मीडियम इन्डस्ट्री ५० के० डब्ल्यू० ३० प्रतिशत १०६५ के० डब्ल्यू० एच० (माह)	११.३७	१-६-६७	१३.६४	..	..	१-७-६८ १६.००	४.६३	+४०
१०	लार्ज इन्डस्ट्रीज थर्ड २५० के० डब्ल्यू० ४० प्रतिशत एल० एफ० ७२००० के० डब्ल्यू० एच० (माह)	७.२६	१-६-६७	१०.७३	..	..	१-७-६८ ५-५८	५-५८	+७६
११	लार्ज इन्डस्ट्री सेकेन्ड १,००० के० डब्ल्यू०, ५० प्रतिशत के० डब्ल्यू० एच० (माह)	५.७६	१-६-६७	८.८६	..	..	१-७-६८ ११.३०	५.५४	+६६
१२	हैवी इन्डस्ट्री ५००० के० डब्ल्यू० ६० प्रतिशत एल० एफ० २१६०००० के० डब्ल्यू० एच० (माह)	५.११	१-६-६७	५.११	..	..	१-७-६८ ६.८८	४.७७	+६३.५
१३	बल्क सप्लाय लाइसेन्सी २००० के० डब्ल्यू०, एल० एफ० ८७६००० के० डब्ल्यू० एच० (माह)	६.४६	१-१२-६७	१०.३८	..	..	१.१०-६८ १२.६१	.६४२	+६६

कोल सरचार्ज निम्न प्रकार से लागू होता है—  
वर्ग १०, ११, १२ तथा १३ विनांक—

१ मई, १९६८	खुम्ब
१ सितम्बर, १९६७	१.६५
१ दिसम्बर, १९६७	२.१६
३१ मार्च, १९६६	१.०७

## विवरण 'सी'

१-५-६२ की तथा चालू मौसम दरों की तुलनात्मक विवरण पैसे में

क्रम- सं०	उपभोक्ताओं का वर्ग	बिनांक	मास्यमिक पुनरीक्षण		अंतिम पुनरीक्षण		१ मई, १९६२ की दरों से		वृद्धि अथवा घटाव का प्रतिशत	
		१ मई, १९६२ को लागू दर	संख्या १	संख्या २	के अनुसार वर्तमान दरें	वर्तमानों दरों में उतार या बढ़ाव				
		तिथि	दर	तिथि	दर	तिथि	दरें			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
१	डोमेस्टिक लाइटिंग ३० के० डब्ल्यू० एच० (माह)	३७.००	१-६-६७	..	..	१-७-६८	३५.००	-२.००	-५ प्रतिशत	
२	डोमेस्टिक हीट एन्ड स्माल पावर, १०० के० डब्ल्यू० एच० (माह)	२५.००	१-६-६७	३०-००	..	१-७-६८	२३.००	-२.००	-८ प्रतिशत	
३	कम्बाइन्ड डोमेस्टिक लोड १३० के० डब्ल्यू० एच० (माह)	..	..	..	..	..	३०.६६	..	..	
४	कामशियल लाइटिंग २०० के० डब्ल्यू० एच० (माह)	३७.००	..	..	..	१-७-६८	३५.००	-२.००	-५ प्रतिशत	
५	कामशियल हीट एन्ड स्माल पावर ४०० के० डब्ल्यू० एच० (माह)	..	..	..	..	..	..	..	..	
६	कम्बाइन्ड कामशियल लोड ६०० के० डब्ल्यू० एच० (माह)	..	..	..	..	..	..	..	..	



७	एपीकल्बर १० एच० पी०, १३ प्रतिशत एल० एफ०, ८१७ के० डब्ल्यू० एच० (माह)	१६.००	..	..	..	१-७-६८ १५.००	-४.००	-२१ प्रतिशत
८	स्माल इन्डस्ट्रीज १० के० डब्ल्यू०, २० प्रतिशत एल० एफ०, १४६० के० डब्ल्यू० एच० (माह)	१६.००	१-६-६७ २२.८०	..	..	१-७-६८ १८.००	-१.००	-५.२ प्रतिशत
९	मोडियम इन्डस्ट्री, १० के० डब्ल्यू० ३० प्रतिशत एल० एफ० १०६५० के० डब्ल्यू० एच० (माह)	१६.००	१-६-६७ २२.८०	..	..	१-७-६८ १६.००	-३.००	-१६ प्रतिशत
१०	लार्ज इन्डस्ट्री फर्स्ट, २५० के० डब्ल्यू०, ४० प्रतिशत एल० एफ०, ७३००० के० डब्ल्यू० एच० (माह)	८.६६	..	११.००	..	१-७-६८ १२.८७	+३.६१	+४३.५ प्रतिशत
११	लार्ज इन्डस्ट्री सेकेंड, १००० के० डब्ल्यू०, ५० प्रतिशत एल० एफ०, ३६५००० के० डब्ल्यू० एच० (माह)	७.२७	..	६.०७	..	१-७-६८ ११.३०	+४.०३	+५५.५ प्रतिशत
१२	हैवी इन्डस्ट्री, ५००० के० डब्ल्यू०, ६० प्रतिशत एल० एफ०, २१,६०००० के० डब्ल्यू० एच० (माह)	६.६२	..	८.०५	..	१-७-६८ ६.८८	+२.६६	+४२.७ प्रतिशत
१३	ब्लक सप्लाइ टू लाइसेंसीज, २००० के० डब्ल्यू०, ६० प्रतिशत एल० एफ० ८,७६,००० के० डब्ल्यू० एच० (माह)	..	..	..	..	..	..	..

कोल सरचार्ज निम्न प्रकार से लागू होता है—

वर्ग १०, ११, १२ तथा १३—

दिनांक—१ मई, १९६२	..	१.३२
१ सितम्बर, १९६७	..	१.६०
१ नवम्बर, १९६७	..	२.१६
११ मार्च, १९६९	..	१.०७

## विवरण 'डी'

१-५-६२ को तथा चालू श्रौसत दरों का तुलनात्मक विवरण नये पैसे में।

क्रम- सं०	उपभोक्ताओं का वर्ग	दिनांक १ मई, १९६२ को लागू दरें	माध्यमिक पुनरीक्षण				अंतिम पुनरीक्षण दरों के अनुसार वर्तमान दरें		१ मई १९६२ की दरों से ३१ मार्च, ६९ के वर्तमान दरों में उतार या चढ़ाव		वृद्धि अथवा घटाव का प्रतिशत
			संख्या १	संख्या २	तिथि	दर	तिथि	दर	तिथि	दर	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	
१	डोमेस्टिक लाइटिंग, ३० के० डब्ल्यू० एच० (माह)	१६.६२	१-३-६६	२०.००	१-६-६७	२४.००	१-७-६८	२४.००	७.३८	+४४ प्रतिशत	
२	डोमेस्टिक हीट एन्ड स्माल पावर, १०० के० डब्ल्यू० एच० (माह)	१६.६२	..	..	..	..	१-७-६८	१४.००	२.६२	-१६ प्रतिशत	
३	कम्बाइन्ड डोमेस्टिक लोड १३० के० डब्ल्यू० एच० (माह)	..	..	..	..	..	..	२१.६८	..	..	
४	कार्मिशियल लाइटिंग २०० के० डब्ल्यू० एच० (माह)	१६.६२	१-३-६६	२०.००	१-६-६७	२४.००	१-७-६८	१४.००	७.६८	+४४ प्रतिशत	
५	कार्मिशियल हीट एन्ड स्माल पावर, ४०० के० डब्ल्यू० एच० (माह)	१६.६२	..	..	..	..	१-७-६८	१४.००	२.६२	-१६ प्रतिशत	
६	कम्बाइन्ड कार्मिशियल लोड, ६०० के० डब्ल्यू० एच० (माह)	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
७	एथीकल्चरल १०० एच० पी० एन्ड १५ एल० एफ० ८१७ के० डब्ल्यू० एच० (माह)	१२.५०	..	..	..	..	१-७-६८	१३.००	२.५०	+२० प्रतिशत	

८	स्माल इन्डस्ट्री १० के० डब्ल्यू०, २० प्रतिशत एल० एफ० १४६० के० डब्ल्यू० एच० (माह) ..	१२.५०	१६-६७	१८.००	..	..	१-७-६८	१८.००	५.५०	+४४ प्रतिशत
९	मिडियम इन्डस्ट्री ५० के० डब्ल्यू०, ३ प्रतिशत एल० एफ० १०६५० के० डब्ल्यू० एच० (माह) ..	१०.५	१-६-६७	१२.६	..	..	१-७-६८	१६.००	५.५०	+५२ प्रतिशत
१०	लार्ज इन्डस्ट्री फर्स्ट २५० के० डब्ल्यू०, ४० प्रतिशत एल० एफ०	१०.८३	..	..	..	..	१-७-६८	१२.८७	२.०४	+१८ प्रतिशत
११	लार्ज इन्डस्ट्री सेकेंड १००० के० डब्ल्यू० ५० प्रतिशत एल० एफ०, २६५,००० के० डब्ल्यू० एच० (माह) ..	६.४४	..	..	..	..	१-७-६८	११.३०	१.८६	+१६.७ प्रतिशत
१२	हैवी इन्डस्ट्री, ५००० के० डब्ल्यू०, ६० प्रतिशत एल० एफ०, २,१६०,००० के० डब्ल्यू०, एच० (माह) ..	७.३३	..	..	..	..	१-७-६८	६.३८	२.५५	+३४.८ प्रतिशत
१३	बल्क सप्लाय टू लाइसेंसोज २,००० के० डब्ल्यू० ५० प्रतिशत एल० एफ० ७६,००० के० डब्ल्यू० एच० (माह) ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

कोल सरचार्ज केवल निम्नवर्ग पर ही लागू होता है—  
जो निम्न प्रकार है—  
वर्ग १०, ११, १२

दिनांक-१ मई, १९६२  
३१ मार्च, १९६६

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ५६ एल० सी०—१६७१—२०० ।

रु०  
३.६३  
१.०७